इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2019—आश्विन 26, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2019

क्र. ई-1-330-2019-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/28/2019/AIS-I, दिनांक 21 अगस्त 2019 द्वारा सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे (2016) की सेवाएं आन्ध्र प्रदेश संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं.

2. सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे (2016) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर जिला रायसेन पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-952-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नरेश पाल कुमार, आयएएस., (2003) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 30 सितम्बर से 18 अक्टूबर 2019 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नरेश पाल कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नरेश पाल कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेश पाल कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

क्र. ई-5-1106-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिव्यांक सिंह, आयएएस., सहायक कलेक्टर, गुना (वर्तमान में मसूरी ट्रेनिंग के दौरान सहायक सचिव, नीति आयोग, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 24 अक्टूबर से 23 नवम्बर 2019 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश (जिसमें दिनांक 10 से 20 नवम्बर 2019 तक की अवधि एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में सम्मिलित है) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिव्यांक सिंह, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दिव्यांक सिंह, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिव्यांक सिंह, आयएएस., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्र. ई-1-402-2019-5-एक.—श्री संदीप जी. आर., भाप्रसे (2013), अपर कलेक्टर, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, जबलपुर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2019

क्र. ई-5-689-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा Birmingham UK में दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन के दौरान होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 14 से 17 सितम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-769-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 4 से 7 सितम्बर 2019 तक, चार दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-774-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत कुमार, आयएएस., आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 4 से 9 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का प्रभार श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, कलेक्टर उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-836-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे, आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2019 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. ई.-5-955-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस., कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अक्टूबर 2019 एवं 19, 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे कलेक्टर, जिला नीमच की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सुश्री भव्या मिततल, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह गंगवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री भव्या मिततल, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय सिंह गंगवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह गंगवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1096-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिलाष मिश्रा, आयएएस., सहायक कलेक्टर, छिन्दवाड़ा (वर्तमान में मसूरी ट्रेनिंग के दौरान सहायक सचिव, रेलवे, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 3 से 7 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 8 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिलाष मिश्रा, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिलाष मिश्रा, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिलाष मिश्रा, आयएएस., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. ई-1-335-2014-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश भा.प्र.से. संवर्ग की चयन सूची वर्ष 2011 में राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण संबंधी आदेश क्र. 14015/35/2019-AIS -I, दिनांक 29 अगस्त 2019 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त श्री आशीष सक्सेना को भारत सरकार द्वारा उनकी पुनरीक्षित वरिष्ठता व पुनरीक्षित आवंटन वर्ष अनुसार उनके पुनरीक्षित आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नीचे तालिका की कण्डिका (5) में अंकित काल्पनिक तिथि से भाप्रसे अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (JAG) हेतु अर्ह हो गए हैं.

(2) अतः, राज्य शासन, श्री आशीष सक्सेना की पुनरीक्षित वरिष्ठता के क्रम में उनके पुनरीक्षित आवंटन वर्ष अनुसार पूर्व में जारी आदेश क्रमांक ई-1-411-2016-5-एक (ए), दिनांक 28 दिसम्बर 2016 के अनुक्रम में नीचे तालिका के कालम (5) में उनके नाम के समक्ष अंकित काल्पनिक/वास्तविक तिथि से भा.प्र.से. (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के अन्तर्गत तत्समय विद्यमान कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान (रुपये 15,600—39,100+7,600 ग्रेड पे) स्वीकृत करता है:—

स. क्र.	अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	संशोधित आवंटित वर्ष (भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का आदेश क्रमांक 14015/35/2019-AIS -I, दिनांक 29 अगस्त 2019 अनुसार)	पूर्व में स्वीकृत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (JAG) की तिथि	पुनरीक्षित वरिष्ठता क्रम में संशोधित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की अर्हता अनुसार निर्धारित तिथि/रा.प्र.से., से भाप्रसे, में नियुक्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री आशीष सक्सेना (2005), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	2003	22-12-2015	1-1-2012 (काल्पनिक तिथि) 22-12-2015 (वास्तविक तिथि)

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. ई.-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश को दिनांक 9 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक इकत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्र. ई.-1-401-2019-5-एक.—श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे (2005), परियोजना संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेकर उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) भी घोषित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. ई-1-63-2016-5-एक.—श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000), तत्का. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिला उमरिया के विरुद्ध वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि में मनरेगा कार्य में अनियमितता किये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र एवं उस पर श्री कुमरे द्वारा दिये गये उत्तर एवं भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक डी-2-47-2011-6-एक, दिनांक 30 मार्च 2019 द्वारा प्रकरण में प्रशासकीय चेतावनी जारी करते हुए प्रकरण बिना किसी दंड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किया गया.

(2) आवंटन वर्ष 2000 तथा पूर्व वर्षों के अवशेष भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति की उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 31 जनवरी 2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छानबीन समिति की बैठक संपन्न हुई थी. उक्त बैठक में आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों के साथ-साथ श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000) के नाम पर भी समिति द्वारा विचार किया गया था.

(3) छानबीन समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000) के रिकार्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में उनकी पदोन्नति की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा को सीलबंद लिफाफे में रखा गया.

(4) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के पश्चात् आवंटन वर्ष 2001 के लिए दिनांक 12 सितंबर, 2014, आवंटन वर्ष 2002 के लिए दिनांक 04 नवबंर, 2015, आवंटन वर्ष 2003 के लिए दिनांक 23 फरवरी, 2016, आवंटन वर्ष 2004 के लिए दिनांक 26 दिसम्बर, 2016, आवंटन वर्ष 2005 के लिए दिनांक 18 दिसम्बर 2017 एवं आवंटन वर्ष 2006 के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2018 को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए आयोजित छानबीन समिति की बैठकों में भी श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000) के नाम पर वरिष्ठता क्रम पर समिति द्वारा विचार किया गया. श्री एस. एस. कुमरे भाप्रसे-2000 के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण लंबित/विचाराधीन होने के कारण आवंटन वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एवं 2006 में भी श्री कुमरे की पदोन्नति के संबंध में समिति द्वारा अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने के कारण उन्हें तत्समय प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति नहीं दी गई थी.

(5) भारत सरकार के निर्णय के परिक्रम में विभाग के आदेश क्रमांक डी-2-47-2011-6-1, दिनांक 30 मार्च 2019 से श्री एस. एस. कुमरे भाप्रसे-2000 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण प्रशासकीय चेतावनी देते हुए बिना किसी दण्ड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये गये.

(6) विभागीय आदेश दिनांक 30 मार्च 2019 के आलोक में श्री एस. एस. कुमरे, (सेनि भाप्रसे-2000)की प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के संबंध में छानबीन समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी 2013 में रखे गये बंद लिफाफे को दिनांक 1 अप्रैल 2019 को खोला गया एवं श्री एस. एस. कुमरे, (से. नि. भाप्रसे-2000) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया.

(7) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2013 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है. अतः , राज्य शासन, द्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक ई-1-450-2012-5-एक, दिनांक 29 मई 2019 से श्री एस. एस. कुमरे, (से. नि. भाप्रसे-2000) को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे में प्रवर श्रेणी वेतनमान में रुपये 37400—67000+ग्रेड पे 8700 में काल्पनिक

पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करते हुए प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री कुमरे का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) की तिथि अर्थात् 01 जनवरी 2013 से निर्धारित किये जाने तथा काल्पनिक पदोन्नति एवं श्री कुमरे की सेवानिवृत्ति की अवधि में उन्हें पदोन्नत पद पर वेतन एवं भत्तों के एरियर्स की राशि **"कार्य नहीं वेतन नहीं"** के सिद्धांत के आधार पर स्वीकृत नहीं की गई.

(8) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए उपयुक्तता के निर्धारण के लिए दिनांक 23 फरवरी 2016 को छानबीन समिति की बैठक संपन्न हुई थी. अतः श्री एस. एस. कुमरे के विरुद्ध पूर्व में प्रचलित विभागीय जांच बिना किसी दण्ड के समाप्त की गई है तथा उन्हें दिनांक 1 जनवरी 2013 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए उपुयक्तता के निर्धारण के लिए दिनांक 23 फरवरी 2016 को छानबीन समिति की बैठक के संदर्भ में दिनांक 22 अगस्त 2019 को आयोजित रिव्यू छानबीन समिति की बैठक में विचार किया गया तथा उन्हें अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया.

(9) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों में वरिष्ठता अनुसार श्री एस. एस. कुमरे सबसे कनिष्ठ (अंतिम) भाप्रसे अधिकारी थे. श्री कुमरे के नाम के ठीक वरिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमती रेनू तिवारी है, जिन्हें छानबीन समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी 2016 में की गई अनुशंसा अनुसार अधिसमय वेतनमान उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 25 फरवरी 2016 से स्वीकृत किया गया है. साथ ही उक्त बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार आवंटन वर्ष 2000 के अन्य भाप्रसे अधिकारियों को आदेश क्रमांक ई-1-63-2016-5-एक-, दिनांक 25 फरवरी 2016 से अधिसमय वेतनमान स्वीकृत किया गया है. अतः श्री एस. एस. कुमरे को भी आदेश क्र. ई-1-63-2016-5-एक, दिनांक 25 फरवरी 2016 से अधिसमय वेतनमान (रुपये 37400—67000+ग्रेड पे 10,000) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान की जाती है.

(10) अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के फलस्वरूप श्री एस. एस. कुमरे का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) की तिथि अर्थात् दिनांक 25 फरवरी 2016 से लेकर सेवानिवृत्त की तिथि 31 मार्च 2019 तक की अवधि के वेतन भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता **"कार्य नहीं वेतन नहीं"** के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2019

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2019 तक, छः दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. ई.-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 14 से 15 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्र. एफ 1-98-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2019 तक आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु Phoenix Settlement Trust and Gandhi Peace Foundation के आमंत्रण पर डरबन (दक्षिण अफ्रीका)की विदेश

यात्रा (Ex-India Tour) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश यात्रा के दौरान Phoenix Settlemnet Trust and Gandhi Peace Foundation डरबन (दक्षिण अफ्रीका) का आतिथ्य स्वीकार करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) यात्रा से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, यात्रा पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. एफ-1(ए)119-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध, जबलपुर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 28 सितम्बर 2019 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 सितम्बर 2019 तथा 29 सितम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित चार धाम (गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री आर. के. अरूसिया	—	स्वयं
2.	श्रीमती मंजू अरूसिया	—	पत्नी

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, का चालू कार्य श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे. सहा. महानिरीक्षक (महिला अपराध) जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति यादव, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-4580-2019.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्र. 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु-क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"27.	श्री कलाम सिंह मेडा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मनावर.	मनावर	धार	मनावर	मनावर".

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1) 4580-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I) 13, dated 10th May 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 27 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"27.	Shri Kalam Singh Meda, 1st Civil Judge, Class-1, Manawar.	Manawar	Dhar	Manawar	Manawar."

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-4657-19.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,

1. सारणी में, अनुक्रमांक 13 एवं 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"13.	गुना	श्री अशवाक अहमद खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना
22.	मंदसौर	श्री इन्द्रजीत रघुवंशी, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर."

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17 (E)-44-2013-XXI-B-(One)4657-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government hereby, makes the following further amendment in this Department Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th Sepetember 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 20th September 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification,

1. In the table, for serial number 13 and 22 and entries relatiang thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Name & Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"13.	Guna	Shri Ashwaq Ahmed Khan, 1st Additional Sessions Judge, Guna
22.	Mandsaur	Shri Indrajeet Raghwanshi, Vth Additional Sessions Judge, Mandsaur.".

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-4579-2019.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्र. 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-2721-2019, दिनांक 22 मई 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 7 जून 2019 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है, अर्थात्:—

"उक्त अधिसूचना में, हिन्दी प्रति में, सारणी में, अनुक्रमांक 8 के सामने कॉलम (5) एवं (6), प्रविष्टि "सेंधवा" के स्थान पर, प्रविष्टियां "1. सेंधवा, 2. बड़वानी" पढ़ी जाए."

CORRIGENDUM

F. No. 17 (E)-43-2009-XXI-B-(One)4579-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), issue the following Corrigendum in respect of this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1) 2721-2019, dated 22nd May 2019, which was publised in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 07th June 2019, namely :—

"In the said Notification in Hindi version in the table, against serial number 8, in column No. (5) and (6) for existing entry sendhwa the entries "1. Sendhwa 2. Barwani" be read.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

फा. क्र.1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-4660-2019.—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित सेशन न्यायाधीशों को कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिला	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
"1.	अनूपपुर	डॉ. सुभाष कुमार जैन, सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर
2.	बुरहानपुर	श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.".

F. No. 1-2-90-XXI-B-(1)-4660-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the Additional Sessions Judges mentioned in column (3), as Special Judges for districts mentioned in column (2), of the table given below, to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No.	Districts	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
"1.	Anuppur	Dr. Subhash Kumar Jain, Sessions Judge, Anuppur
2.	Burhanpur	Shri Virendra S. Patidar, Sessions Judge, Burhanpur.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 1(सी)5203, 5167-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला शाजापुर के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री अम्बर वारसी, (नामांकन क्र. एम. पी./1172/2008) को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री अम्बर वारसी की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 12 जुलाई 1979 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री अम्बर वारसी, को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उप योजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

श्री अम्बर वारसी, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, शाजापुर को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्र. एफ-1-3-2016-इकतालीस-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2016 द्वारा जारी की गयी मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:—

1. **Clause 7.2.3 (c) -Land related benefits :**

कंडिका क्रमांक 7.2.3 (c) के अनुलग्नक-1 के बिन्दु क्र. 1 में Type of applicant में IT unit /ITeS Unit के बाद Data centre तथा Ratio of land use के कॉलम में IT/ITES/ESDM के बाद को Data centre जोड़ा जाता है. उक्त संशोधन के उपरान्त संशोधित परिशिष्ट-1 संलग्न अनुसार होगा.

2. **Clause 7.2.5-Criteria for determination of area of land that can be allotted :**

कंडिका में अंकित पैरा *Core operation means the number of people employed for the main economic activity of the unit and shall exclude people employed in support services such as security guard, gardening, drivers etc. के उपरान्त निम्नानुसार नोट अंकित किया जाता है:—

Note :- This criteria will not be applicable for establishment of Data Centers.

3. Clause 7.8 - IT Investment Promotion Assistance को विलोपित किया जाता है.

4. Clause 7.13 - Entrry Tax Exemption को विलोपित किया जाता है.

5. Clause 7.15 -Assistance in Marketing (a) को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

a. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National/International exhibitions/events etc. subject to a maximum limit of Rs. 2 Lakhs for International and 1 Lakh for National events. This incentive shall be available to a unit once in a financial year, calculated separately for domestic & international event.

6. Clause 7.17 -Special Package BPO/BPM में उल्लेखित ITeS को विलोपित किया जाता है.

7. कंडिका 7.17 के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका 7.18 स्थापित की जाती है:—

7.18 **Benefits for data Centres**—Data Center with minimum proposed investment of Rs. l0 Crores will be entitled to avail only Land Related benefits under this policy.

परिशिष्ट-1

Sl. No.	Type of Applicant	Type of Land	Ratio of land use		Non-IT use permissibility	Rebate on cost of land
			IT/ITeS/ ESDM/ Data Center	Ancillary/ Commercial/other Industry/Residential		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	IT Unit/ITeS unit/Data Center	Developed land and Raw land	85%	15%	Up to 15% of the usable land/built -up area for non-IT purposes.	75%
	IT Unit/ITeS	Developed and raw land	60%	40%	Up to 40% of the usable land/built -up area for non-IT purposes.	50%
2	ESDM Units	Developed land and Raw land	85%	15%	Use of land only for ESDM purposes. Sub-lease as per the Industrial Promotion Policy, 2014	75%
3	Developer of an IT Investment Area	Raw land	85%	15%	Can sub-lease 85% usable land/ built-up area to IT/ITeS/ESDM units and remaining 15% for only ancillary activities	50%
	Developer of an IT Investment Area	Raw Land	60%	40%	Can sub-lease 60% usable land/ built-up area to IT/ITeS/ESDM units and remaining 40% for only ancillary activities	25%

क्र. एफ-1-3-2016-इकतालीस-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2018 द्वारा जारी की गयी मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:—

(1) **Clause 3 (ii) Roles of Committee**—में दर्शाये गये लाभ की सूची के सरल क्रमांक (5) IT Investment Promotion Assistance एवं (9) Entry tax exemption को विलोपित किया जाता है.

(2) **Clause 6 Land related Benafit** के **Form 24-About Lease Deed** का **clause 27 No change in ownership** को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

27 Change in ownership

i. Lessee shall not change the constitution of ownership within three years from the date of execution of the Lease Deed.

ii. After three years from the date of execution of Lease Deed, on the basis of change in the constitution of ownership of the unit, the Lessee may with the prior permission from the Lessor in writing and by paying the required fees or charges ascertained by MPSEDC, get the Lease Deed amended as per applicable laws and cost of such changes shall be paid by the lessee. Provided that the land use after the change in constitution of ownership shall remain within the scope of the policy/scheme in force.

iii. This clause shall apply to all unless, the lessee is a company duly registered and listed in a recognized stock exchange in India.

In case of declared sick units/court cases/insolvency proceedings or any other legal action due to which title of the unit get affected or otherwise the Lessor will take action/decision as per the said rules/directions/applicable laws.

Clause 6- Land related Benefit के Form 24 – About Lease Deed का clause 34 - Sub-Letting and assignment –को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

34. Sub-Letting and Assignment

Subject to the provisions of this clause the lessee may sub-lease the land or any building, or part thereof, constructed on the demised premises as per the permissible FAR under its sub-lease provided .....% of such building or part thereof can be used

for IT/ITeS/ESDM activities and .....% for non IT/ITeS/ESDM activities as per the terms of allotment to the lessor. Also provided that:

i) The Lessee shall not Sub Lease any such part without prior permission in writing from the Lessor in this regard; and

ii) The execution of such Sub Lease shall not absolve the Lessee of its obligation to ensure employment of the minimum number of employees provided in this lease deed on its own. The employees hired by the Sub Lessee(s) shall not be counted to the credit of the Lessee for this purpose. That is to say, notwithstanding the number of employees engaged by the sub-lessee, the lessee shall continue to be liable to ensure employment to minimum number of employees of the nature provided in this lease deed in proportion to the total plot area of the original lease between the present Lessor and the present Lessee. The Lessee will complete construction of the area proposed to be used for IT purposes before subleasing the permissible area; and also

iii) The Lessee shall have the right to collect Sub Lease rent from the Sub Lease (s).

iv) The Sub Leasing mentioned above cannot be conflicting or contradictory to the provision of the lease deed."

v) The terms and conditions of main lease deed shall apply and be binding on sub lessee.

vi) The period of sub lease shall never exceed the last date fixed for the expiry of the present lease. All subsisting sub leases shall be co-terminus with the present lease and would automatically come to an end upon expiry of the term of the present lease or upon premature termination of the present lease as per terms of this lease deed, without any further notice to the sub-lessee.

vii) The sub lessee shall be bound to obtain necessary consents, permissions, approvals as may be required under any law and for in main lease as applicable from time to time from appropriate authorities.

viii) In case of any breach or default committed by sub lessee, the lessee shall be responsible and liable and in such circumstances the lessor shall exercise all such rights and powers as available to him under main lease deed and under the said Rules as amended from time to time against the main lessee as well as sub lessee.

ix) The sub lessee shall not further sub lease/assign or otherwise transfer or shall create any third party interest whatsoever in the demised land/building or part thereof.

x) The lessee shall provide to the lessor a copy of sub-lease deed, contract or any agreement entered into with the Sub-lessee in respect of the demised land and building constructed thereon.

xi) In case of default of payment of lease rent or any dues either by lessee or by Sub-lessee the lessor shall have right to demand and recover the same either from lessee or Sub-lessee and vice versa or from both lessee and sub lessee as provide in the main lease deed.

(4) **Clause 6 Land related benafit** के पैरा **From (b)(d)** में उल्लेखित टेबल को संशोधित कर निम्नानुसार संशोधित टेबल प्रतिस्थापित की जाती है:—

Sl. No.	Type of Applicant	Type of Land	Ratio of land use		Non-IT use permissibility	Rebate on cost of land
			IT/ITeS/ ESDM/ Data Center	Ancillary/ Commercial*/other Industry/Residential		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	IT Unit/ITeS unit/Data Center	Developed land and Raw land	85%	15%	Up to 15% of the usable land/built -up area for non-IT purposes.	75%
	IT Unit/ITeS	Developed and raw land	60%	40%	Up to 40% of the usable land/built -up area for non-IT purposes.	50%
2	ESDM Units	Developed land and Raw land	85%	15%	Use of land only for ESDM purposes. Sub-lease as per the Industrial Promotion Policy, 2014	75%
3	Developer of an IT Investment Area	Raw land	85%	15%	Can sub-lease 85% usable land/ built-up area to IT/ITeS/ESDM units and remaining 15% for only ancillary activities	50%
	Developer of an IT Investment Area	Raw Land	60%	40%	Can sub-lease 60% usable land/ built-up area to IT/ITeS/ESDM units and remaining 40% for only ancillary activities	25%

* Food Courts, Hospitals, Shopping Malls, Residential Complex, Schools, Star Hotels, and other entertainment facilities.

(5) **Clause 6(f) - Criteria for determination of area of land that can be allotted** – के पैरा(1) को संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

1) A unit would be eligible for allotment of land as given below: -

S.No	Sector	Maximum area that can be allotted at concessional rates	Maximum allotable area on concessional rates
1	IT	1 acre per every 100 people employed in core operations*	25 acres
2	ITeS	1 acre per every 150 people employed in core operations	
3	ESDM	1 acre per every 50 people employed in core operations	

** Core operation means the number of people employed for the main economic activity of the unit and shall exclude people employed in support services such as security guards, gardening, drivers etc.*

Note : - This criteria will not be applicable for establishment of Data Centers.

(6) **Clause 11 - IT Investment Promotion Assistance**को विलोपित किया जाता है।

(7) **Clause 12-**Reimbursement on Skill Gap Trainings के पैरा (v) को विलोपित किया जाता है।

(8) **Clause 16 – Entry Tax Exemption** को विलोपित किया जाता है।

(9) **Clause 18– Assistance in Marketing** के पैरा (i) एवं (iii) को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

18(i) The application for availing marketing assistance shall be submitted in the Form-11.For individual units along with necessary documents **within three months from the end of financial year.**

18(iii) All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on ***expenses incurred*** for participating in designated National/International exhibitions/events etc. subject to a maximum limit of Rs. 2 Lakhs for International and 1 Lakh for National events. This incentive shall be available to a unit once in a financial year, calculated separately for domestic & international event.

Note: Respective changes will be made in Form 11.

(10) कंडिका 20 के पश्चात् कंडिका-20 (A) निम्नानुसार स्थापित की जाती है:—

Clause 20(A) - Benefits for data Centres-

Data Center with minimum proposed investment of Rs10Crores will be entitled to avail only Land Related benefits under this policy.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

सूचना

क्र. एफ-3-61-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3037-टीसी-41-इन्दौर-उपा-नग्रानि-2015, दिनांक 27 मई 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्त निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नायता मुण्डला	253, 254, 256/2.	3.156	आवासीय एवं मार्ग	यातायात के अन्तर्गत बस टर्मिनल (आईएसबीटी स्थापना हेतु) एवं मार्ग.
		योग . .	3.156		

उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

संसदीय कार्य विभाग

(बी विंग, द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन)
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. एक (3) 14-2017-03-अड़तालीस.—श्री रविन्द्र महाड़िक, अनुभाग अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाये दिनांक को सेवानिवृत्त किया जाता है:—

नाम, पदनाम एवं एम्पलाई कोड क्र.	सेवानिवृत्ति दिनांक	सा.भ. निधि खाता क्र.	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
श्री रविन्द्र महाड़िक, अनुभाग अधिकारी, एम्पलाई कोड-051009630	30-6-2020 अपराह्न	एस.जी.एस./एन.एम.पी./1933	शासकीय आवास क्र. 95 ए/38, तुलसी नगर, भोपाल पिन-462003.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राजोरिया, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

परिशिष्ट-3 (अ)

क्र. एफ-25-53-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा-34 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वन क्षेत्र जिससे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9-X/58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:—

अनुसूची

जिला—होशंगाबाद, तहसील—बाबई, वनमण्डल—होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र—सोहागपुर

अ. क्र. (1)	वनखण्ड का नाम (2)	वन कक्ष का क्रमांक (3)	निर्वनीकरण हेतु क्षेत्रफल (हे. में.) (4)	निर्वनीकरण के कारण का संक्षिप्त विवरण (5)	निर्वनीकरण किये जाने वाले वनक्षेत्र की सीमाए (6)
1	पहनतला "ए"	(पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ-114 (नया) कक्ष क्र. पी.एफ-187.	174.00	भारत शासन की स्वीकृति क्रमांक F. No.8. 20/2017 FC दिनांक 6-7-2017 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद की वनभूमि पर बसाये गये वनग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है.	**उत्तर सीमा**—नई कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 106 से 121 तक वनखण्ड पहनतला "ए" संरक्षित वन. **पूर्व सीमा**—कृत्रिम लाइन मुनार क्रमांक 121 से 130 और नाला सीमा होते हुए कृत्रिम मुनार क्रमांक 130 से 465 तक कक्ष क्रमांक 188 की पश्चिमी सीमा और 465 से 464/1 तक. **दक्षिणी सीमा**—नई कृत्रिम लाइन मुनार क्रमांक 464/1 से 83/14 तक. **पश्चिम सीमा**—कृत्रिम लाइन मुनार 83/14 से मुनारा क्रमांक 106 तक.

नोट:—प्रस्तावित रकबा के बाहारी सीमा के आक्षांश एवं देशांत (1) $22^0$39'13.29"N, 78º 2'42.69" E, (2) $22^0$38'7.26" N, $78^0$3'40.94"E (3) $22^0$38'4.31" N, $78^0$3'24.29" E (4) 22^0 38'21.25" N, $78^0$2'34.14" E

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-25-53-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-53-2019-दस-3, दिनांक 3 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal, the 3rd Ocotber 2019

F- No. 25-53-2019-X-3.—In exercise of power conferred by Section 34 (A) of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as protected Forest by the Notification Number 9-X/58, Date 10th July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in "Mahdya Pradesh Gazette" and this land shall stand transferred to the Revenue Department:—

SCHEDULE

District—Hoshangabad, Tehsil—Sohagapur, Forest Division—Hoshangabad Forest Range—Sohagapur

S. No.	Forest Block	Forest Comp. No.	Area for denotified (Hec.)	Brief description of reasons for Denotification	Boundaries of handed over forest land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pahantala "A"	(Old) PF-114 (New) PF-187	174.00	Relocation of village from Satpura tiger Reserve *vide* the Sanction Issued By MOEF & CC Letter No/F. No. 8-20/2017 Date 6-7-2017.	**North**—New Cut line from Pillar No. 106 to 121. **East**—Artificial cut line for Pillar No. 121 to 130 and Nalla for Pillar No. 130 to Pillar No. 465 Western Boundary of compartment P-188 and from pillar 465 to 464. **South**—New cut line from Pillar No. 464/1 to 83/14. **West**—Afritficial Cut line for Pillar No 83/14 to pillar No. 106..

Note : Latitude & Longitudre of Proposed Area (1) $22^0$39'13.29"N, 78º 2'42.69" E, (2) $22^0$38'7.26" N, $78^0$3'40.94"E (3) $22^0$38'4.31" N, $78^0$3'24.29" E (4) $22^0$38'21.25" N, $78^0$2'34.14" E

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MOHANTA, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 87-रीडर-2019-प्र. क्र. 45-अ-82-19-20 मन्दसौर, दिनांक 29 अगस्त 2019

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति म.प्र. पत्र भाग – 1 पृष्ठ 3466–69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका –11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम परियोजना प्रशासक, एस.एस.पी.आई.यू. शामगढ के व्दारा गरोठ सुक्ष्म सिचाई परियोजना हेतु ग्राम कुकडेश्वरा तहसील भानपुरा की भूमि जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण –

जिला–मन्दसौर तहसील–भानपुरा ग्राम कुकडेश्वरा सर्वे नम्बर 812 रकबा **0.060** है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	कुकडेश्वरा	0.060	0.000	0.060
योग		0.060	0.000	0.060

अनुसूची (1)
गरोठ सुक्ष्म सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ग्राम कुकडेश्वरा

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रक्बा	पूर्व अर्जीत रकबा	कुल अर्जित रक्बा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित
1	धापूबाई बैवा भुवानीराम, कारूलाल बंशीलाल पिता भुवानीराम जाति गुर्जर निवासी कुकडेश्वरा	812	1.356	0.060	0.060
कुल हेक्टयेर			1.356	0.060	0.060

नोट :– भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 77-रीडर-2019-प्र. क्र. 45-अ-82-19-20

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमात से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग – 1 पृष्ठ 3466–69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका –11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकम कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग गांधीसागर के व्दारा परासली तालाब योजना का पुरक प्रकरण हेतु ग्राम आंकली शिवदास तहसील शामगढ की भूमि जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण –

जिला–मन्दसौर तहसील–शामगढ ग्राम आंकली शिवदास सर्वे नम्बर 566/2,579/2,580/2,601/2 कुल रकबा **0.400** है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	आंकली शिवदास	0.400	0.000	0.400
योग		0.400	0.000	0.400

अनुसूची (1)
ग्राम आंकलीशिवदास, की भूमि परासली तालाब हेतु

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रक्बा	पूर्व अर्जीत रकबा	कुल अर्जित रक्बा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित
1	मेहनलाल पिता रामचंद्र जाति खाती निवासी शामगढ	566/2,579/2,580/2,601/2,	0.400	0.000	0.400
कुल हेक्टयेर			0.400	0.400	0.400

नोट :– भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 4349–प्रवा.–2019 राजगढ़, दिनांक26 सितम्बर 2019

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में खण्डारबे सिंचाई परियोजना तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम मोतीपुरा एंव खण्डारबे के लिए पाल, डूब एंव वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि हेत आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

(1) खण्डारबेह तालाब के ग्राम मोतीपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	गंगाराम,खेमा,रामचन्द्र पिता नाथू पुरालाल,डूंगर,भवंरीया पिता किशोर गंगाबाई बेवा किशोर जा.चमार	104/35	0.190	0.190
		104/36	0.251	0.251
		104/48	0.328	0.328
	योग	**3**	**0.769**	**0.769**
2	कनीराम,मांगीलाल पिता धुलजी लोडा	41,42/1	0.056	0.056
		43/1	0.156	0.156
	योग	**2**	**0.212**	**0.212**
3	हरीबगस पित घीसा लोडा	239/104	0.393	0.393
	योग	**1**	**0.393**	**0.393**
4	पुरीलाल पिता रामसिंह नन्दुबाई पति रामसिंह जा. लोडा	35	0.267	0.267
	योग	**1**	**0.267**	**0.267**
5	भंवरलाल पिता गंगाराम लोडा	36/1	0.455	0.455
	योग	**1**	**0.455**	**0.455**
6	शिवसिंह पिता छीता लोडा हि.1/2 मांगीलाल किशन मंथरी बेवा किशन लोडा हि 1/2	37	0.012	0.012
		38	0.012	0.012
		80/1	0.114	0.114
		80/2	0.113	0.113
		250/104/1	0.582	0.432
		250/104/2	0.583	0.422
		39/1	0.057	0.057
		39/2	0.056	0.056
		40/1	0.348	0.348
		40/2	0.348	0.348
	योग	**10**	**2.225**	**1.914**

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
7	मांगीलाल,फूलचन्द पिता गंगाराम लोडा	43/2	0.157	0.157
		87/2	0.270	0.270
	योग	**2**	**0.427**	**0.427**
8	कवंरलाल,गोरधन,अमरसिंह पिता शंकरलाल दोलीबाइ बेवा शंकरलाल जाति लोडा	43/3	0.157	0.157
	योग	**1**	**0.157**	**0.157**
9	मु.कंचनबाई बेवा पन्नालाल मदनलाल पुरसिह पिता पन्ना लोडा	34/1/1	0.265	0.265
		78/3	0.109	0.109
	योग	**2**	**0.374**	**0.374**
10	मांगीलाल पिता हरलाल लोडा	34/1/2	0.265	0.012
		203/104/2	0.057	0.057
	योग	**2**	**0.322**	**0.069**
11	रामलाल पिता जगन्नाथ लोडा	34/2/1	0.028	0.020
		236/104/1	0.060	0.060
		48	0.356	0.110
		88/1	0.129	0.129
	योग	**4**	**0.573**	**0.319**
12	कंवरलाल पिता अमरा लोडा	47/3	0.250	0.220
	योग	**1**	**0.250**	**0.220**
13	भेरू पिता अमरा लोडा	47/2	0.249	0.177
	योग	**1**	**0.249**	**0.177**
14	कंवरलाल,रामस्वरूप,राजाराम पिता बापूलाल,प्रमबाई पत्नि बापूलाल,रेशमबाई पत्नि बापूलाल मेथीबाई, अनारबाई, ममताबाई, चन्द्रकला पुत्री बापूलाल कस्तुरीबाई बेवा मांगीलाल लोडा नि. मोतीपुरा	45	0.405	0.405
		69	0.559	0.040
		84	0.138	0.138
		83	0.065	0.065
		82	0.304	0.304
	योग	**5**	**1.471**	**0.952**
15	देवसिंह,देवीलाल पिता नन्दा लोडा	70	0.380	0.150
		93/2	0.178	0.178
	योग	**2**	**0.558**	**0.328**
16	पुरा,नारान पिता कालू लोडा	93/1	0.178	0.178
		91 92/1	0.132	0.132
	योग	**3**	**0.310**	**0.310**
17	रामलाल,भेरिया,कनीराम,हजारी पिता जगन्नाथ लोडा	89	0.053	0.030
	योग	**1**	**0.053**	**0.030**
18	रामचन्द्र पिता हीरा लोडा	74	0.024	0.024
		75		
		203/104/1	0.057	0.057
		235/104/1	0.132	0.132
	योग	**4**	**0.213**	**0.213**

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
19	देवा पिता खेमा किशन पिता कनीराम लोडा	77	0.024	0.024
	योग	**1**	**0.024**	**0.024**
20	चम्पा पिता कालू लोडा	78/1	0.072	0.072
	योग	**1**	**0.072**	**0.072**
21	चम्पा पिता कालू जडावबाई पुत्री कालू लोडा	79/1	0.079	0.079
	योग	**1**	**0.079**	**0.079**
22	मु.हीराबाई बेवा पुरीलाल,मांगीलाल अमरलाल,बापूलाल,राधेश्याम पिता पुरीलाल लोडा	79/2	0.080	0.080
		76/2	0.022	0.022
	योग	**2**	**0.102**	**0.102**
23	अमरलाल,गोपीलाल,कस्तुरीबाई बेवा गोपीलाल	79/3	0.080	0.080
		76/3	0.022	0.022
	योग	**2**	**0.102**	**0.102**
24	रामचन्द्र पिता नाथु चमार	104/23/6	1.173	1.000
	योग	**1**	**1.173**	**1.000**
25	लालसिंह पिता श्रीलाल मु.भुलीबाई बेवा श्रीलाल जाति लोडा	46/1	0.235	0.235
		238/104	0.166	0.166
		204/104	0.190	0.190
		214/104	0.077	0.077
	योग	**4**	**0.668**	**0.668**
26	भदनलाल पिता पन्नालाल जाति लोडा	178/104/3	0.165	0.165
	योग	**1**	**0.165**	**0.165**
27	जगन्नाथ पिता उंकार लोडा	235/104/2	0.131	0.131
		78/2	0.110	0.110
	योग	**2**	**0.241**	**0.241**
28	भेरू पिता जगन्नाथ लोडा	236/104/2	0.060	0.060
		88/2	0.129	0.129
	योग	**2**	**0.189**	**0.189**
29	कनीराम पिता जगन्नाथ लोडा	236/104/3	0.060	0.060
		88/3	0.130	0.130
	योग	**2**	**0.190**	**0.190**
30	हजारी पिता जगन्नाथ लोडा	236/104/4/4	0.059	0.059
		88/4	0.130	0.130
	योग	**2**	**0.189**	**0.189**
31	दौलतराम पिता मानसिंह लोडा	237/104	0.166	0.166
	योग	**1**	**0.166**	**0.166**
32	भवंरलाल पिता घीसा हि.1/2 गंगाराम आ0मानसिंह हि0 1/2 लोडा	90/1	0.160	0.160
		86/1	0.170	0.170
	योग	**2**	**0.330**	**0.330**

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
33	कमलीबाई पति भंवरलाल लोडा	90/2	0.079	0.079
		86/2	0.085	0.085
	योग	**2**	**0.164**	**0.164**
34	कंवरलाल,गोरधन,अमरसिंह,पिता शंकरलाल दोलीबाई बेवा शंकरलाल लोडा	87/1	0.135	0.135
	योग	**1**	**0.135**	**0.135**
35	करणसिंह हरकचन्द्र पिता भंवरलाल नि.ग्रा.	202/104	0.190	0.020
	योग	**1**	**0.190**	**0.020**
36	चम्पा,प्रभु पिता कालू जडाव पुत्री कालू जाति लोडा नि.ग्राम	76/1	0.021	0.021
	योग	**1**	**0.021**	**0.021**
37	भवंरलाल पिता गंगाराम जाति लोडा नि.	44/1	0.107	0.107
	योग	**1**	**0.107**	**0.107**
38	बापुलाल पिता खेमा जाति चमार नि.ग्राम	104/23/7	1.173	0.913
	योग	**1**	**1.173**	**0.913**
		74	**14.358**	**12.463**
	खण्डारबेह			
39	बजेसिंह पिता मांगीलाल बक्सू पिता उंकार	35	0.821	0.821
		36	0.659	0.659
		37	0.154	0.154
		50/70	0.405	0.405
		50/99	0.028	0.028
	योग	**5**	**2.067**	**2.067**
40	रतन,प्रभु,कालीबाई पिता रामसिंह लोडा	38	0.934	0.720
	योग	**1**	**0.934**	**0.720**
41	मांग्या पिता नन्दा गोपी पिता प्यारा	50/118	0.773	0.523
	योग	**1**	**0.773**	**0.523**
42	मांग्या पिता नन्दा जाति लोडा	50/71	0.482	0.404
	योग	**1**	**0.482**	**0.404**
	कुल योग	**8**	**4.256**	**3.714**
	महायोग	**82**	**18.614**	**16.177**

नोट :– भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 4351-प्रवा.-2019

(अन्तर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013)

प्रकरण कमांक ...../अ–82/..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में **खोखरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित निजी भूमि** तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम **सेमलाबेह** के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि की अनुसूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

खोखरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित निजी भूमि :– ग्राम सेमलाबेह

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा हेक्टे. मे	प्रभावित भूमि हेक्टे. में
1	2	3	4	5
1	अमरसिंह, पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/1 48/1 98/31/1	0.147 0.084 0.241	0.147 0.084 0.121
	योग	**3**	**0.472**	**0.352**
2	बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/2 48/2 48/3 50/2 98/31/2	0.147 0.084 0.083 0.222 0.240	0.147 0.084 0.083 0.222 0.120
	योग	**5**	**0.776**	**0.656**
3	कालुसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/3 98/31/3	0.147 0.240	0.147 0.120
	योग	**2**	**0.387**	**0.267**
4	शांताबाई पति प्रभूलाल जाति भील पता निवासी ग्राम हरजीपुरा भूमि स्वामी	50/1 50/3	0.223 0.223	0.223 0.223
	योग	**2**	**0.446**	**0.446**

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा हेक्टे. मे	प्रभावित भूमि हेक्टे. में
1	2	3	4	5
5	बीरमसिंह पिता गंगाराम जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55	0.190	0.190
		56/2	0.063	0.063
	योग	**2**	**0.253**	**0.253**
6	गंगाराम पिता गुलाब जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/1	0.670	0.670
	योग	**1**	**0.670**	**0.670**
7	पूरीबाई पति मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	193/47	0.267	0.267
		211/47/2	0.455	0.455
	योग	**2**	**0.722**	**0.722**
8	भगवानसिंह पिता लक्ष्मण, जतनबाई बेवा लक्ष्मण जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	152/47	0.543	0.543
		212/47	0.150	0.150
		213/47	0.166	0.166
	योग	**3**	**0.859**	**0.859**
9	भवॅरलाल पिता मांगीलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	31/2	1.000	1.000
	योग	**1**	**1.000**	**1.000**
	कुलयोग ग्राम सेमलाबेह :–	**21**	**5.585**	**5.225**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 4-अ-82-2018-19-क्र. 4353

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास आर पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में बालदिया तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बालदिया एवं रावतपुरा के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित सर्वे नम्बर में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि :– ग्राम बालदिया

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				कुल भूमि
1	2	3	4	5
1	प्रेमसिंह पिता देवीराम, कमलाबाई पति प्रेमसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	132	0.442	0.442
	योग	**1**	**0.442**	**0.442**
2	संतोष पिता प्रभूलाल, सुन्दरबाई पति संतोष जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	134	0.976	0.976
	योग	**1**	**0.976**	**0.976**
3	रतनलाल, पिता मांगीलाल, द्रोपदबाई पति रतनलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	136/1	0.600	0.405
	योग	**1**	**0.600**	**0.405**
4	गोकुलप्रसाद पिता प्यारजी, छमूबाई पत्नि गोकुलप्रसाद जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	136/6	1.000	0.560
	योग	**1**	**1.000**	**0.560**
5	प्यारजी पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	138/4/1	0.532	0.248
	योग	**1**	**0.532**	**0.248**
6	भोनजी पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	138/4/2	0.532	0.248
	योग	**1**	**0.532**	**0.248**
7	अमरलाल, नर्बदीबाई, संमतबाई, केसरबाई, भँवरबाई पिता रामलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	138/4/3	0.532	0.248
	योग	**1**	**0.532**	**0.248**
8	घीसीबाइ बैवा लक्ष्मण, सांवरलाल, ग्यारसीराम पिता लक्ष्मण जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	138/4/4	0.532	0.248
	योग	**1**	**0.532**	**0.248**
9	मदनलाल पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी	138/4/5	0.532	0.246
	योग	**1**	**0.532**	**0.246**

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				कुल भूमि
1	2	3	4	5
10	रमकूबाई पति अमरलाल जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	139	0.190	0.190
		140	0.278	0.139
		141	0.228	0.171
		142	0.164	0.082
	योग	**4**	**0.860**	**0.582**
11	गोरीलाल पिता भोना, शांतिबाई पुत्री भोना जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	143	0.240	0.240
		144	0.569	0.284
		145	0.531	0.189
		146	0.139	0.139
	योग	**4**	**1.479**	**0.852**
12	गिरधारी पिता कालू जाति लोडा नि. ग्राम भूमि स्वामी	121/3	0.258	0.081
	योग	**1**	**0.258**	**0.081**
13	मांगीलाल, नाराण पुत्र हरलाल, रोडीबाई पुत्री हरलाल मांगी, कस्तुरी पुत्री देवीराम जाति लोडा नि. ग्राम भूमि स्वामी	124	0.304	0.080
	योग	**1**	**0.304**	**0.080**
14	सुन्दरबाई बेवा पाचू जाति चमारी नि. ग्राम भूमी स्वामी	125	1.292	0.080
	योग	**1**	**1.292**	**0.080**
15	अमरलाल पिता देवा जाति लोडा नि. ग्राम भूमि स्वामी	148/1	0.164	0.048
	योग	**1**	**0.164**	**0.048**
16	धापूबाई बेवा अमरसिंह प्रेमसिंह धनसिंह ग्यारसीबाई ललताबाई पिता अमरसिंह जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/1	0.082	0.082
	योग	**1**	**0.082**	**0.082**
17	कन्हैयालाल, अमरीबाइ पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/2	0.082	0.082
		153/2	0.041	0.041
	योग	**2**	**0.123**	**0.123**
18	ब्रजमोहन पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/3	0.082	0.082
		151	0.038	0.038
		153/3	0.041	0.041
	योग	**3**	**0.161**	**0.161**
19	घीसालाल पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	149/4	0.083	0.023
		150	0.038	0.038
		153/1	0.041	0.041
	योग	**3**	**0.162**	**0.102**
	कुलयोग :–	**30**	**10.563**	**5.812**

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
				कुल भूमि
1	2	3	4	5
बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र, वेस्टवियर व सड़क में प्रभावित भूमि :– ग्राम रावतपुरा				
1	ईश्वरसिंह पिता अमरसिंह, हि. 38 पै. प्रेमकुंवर बेवा उमरावसिंह, रघुवीरसिंह उदलसिंह सुरेन्द्रसिंह, इन्दरसिंह श्यामसन्दरसिंह, कृष्ण कुंवर पिता उमरावसिंह हि. 1 पै. चैनसिंह हि. 1 पै. पिता पर्वतसिंह, मांगीलाल कमलसिंह, रोड कुंवर, कलाकुंवरबाई पिता हरिसिंह. हि 20 पैसा जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	94	0.531	0.253
	योग	**1**	**0.531**	**0.253**
2	रेशम कुंवर बेवा रायसिंह कुमेरसिंह, अर्जनसिंह, मांगीलाल पिता रायसिंह कैलाश कुंवर, होकम कुंवर, धापू कुंवर, सुगन कुंवर पिता रायसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	96/1	0.632	0.632
	योग	**1**	**0.632**	**0.632**
3	प्रभूलाल पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/1	0.139	0.139
	योग	**1**	**0.139**	**0.139**
4	कंवरलाल पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/2	0.139	0.139
	योग	**1**	**0.139**	**0.139**
5	रूगनाथ पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/3	0.139	0.139
	योग	**1**	**0.139**	**0.139**
6	कालूसिंह पिता तेजसिंह प्रेमकुंवर पिता रामनाथसिंह, भगवानसिंह अन्तरसिंह गोपालसिंह, चतरबानसिंह पिता कालूसिंह मु. तेजकुंवर बेवा कालूसिंह, सांवतसिंह, तेजसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	101 102	1.202 0.013	1.202 0.013
	योग	**2**	**1.215**	**1.215**
7	गोविन्दसिंह पिता मांगीलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	103/1/3	1.417	1.417
	योग	**1**	**1.417**	**1.417**
8	केससिंह पिता शंकरलाल, गीताबाई पति केसरसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	103/1/4/1	2.000	0.750
	योग	**1**	**2.000**	**0.750**
9	सुगनसिंह पिता अमानसिंह, भंवरीबाई बेवा अमानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105 104/1 33/1	0.013 0.455 0.923	0.013 0.455 0.155
	योग	**3**	**1.391**	**0.623**

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	प्रभावित रकबा (हेक्टे.) कुल भूमि
1	2	3	4	5
10	कालूसिंह पिता तेजसिंह, भगवानसिंह, अन्तरसिंह, गोपालसिंह, चतरबानसिंह पिता कालूसिंह मु. तेजकुंवर बैवा कालूसिंह, प्रेमसिंह पिता बहादुरसिंह, भेवंरीबाई पिता अमानसिंह, ईश्वरसिंह पिता अमरसिंह, पेपकुंवर, छोटीकुंवर पिता अमरसिंह मु. गोविंदकुंवर बेवा अमरसिंह, वीरेन्द्रसिंह, अजीतसिंह पिता दुलेसिंह, विष्णुकुंवर पिता दुलेसिंह, रघुनाथसिंह, केसरसिंह पिता उंकारसिंह, भंवरीबाई, चन्द्रकुंवरबाई पिता उंकारसिंह, केशरसिंह, प्रेमसिंह, हरिसिंह, गणपतसिंह पिता सुगनसिंह, रामकुंवर पिता सुगनसिंह, सूरजकुंवर बेवा सुगनसिंह जाति राजपूत नि. ग्रम भूमि स्वामी	108	7.689	1.506
	योग	**1**	**7.689**	**1.506**
11	ईश्वरसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	104/2/1 33/2/1	0.228 0.461	0.228 0.120
	योग	**2**	**0.689**	**0.348**
12	मोहनसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	104/2/2 33/2/2	0.228 0.231	0.228 0.120
	योग	**2.00**	**0.459**	**0.348**
13	मु. गोविन्द कुवर बेवा अमरसिंह ईश्वरसिंह, प्रेमकुंवर, राजकुंवर छोटीबाई पिता अमरसिंह विरेन्द्रसिंह अजीतसिंह गजेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह विष्णु कुंवर पिता दुलेसिंह प्रभूनाथसिंह केसरसिंह पिता उंकारसिंह भंवरीबाई, रतनकुंवरबाई पिता उंकारसिंह सुगनकुंवर बेवा उंकारसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	34 35	0.734 1.821	0.125 0.180
	योग	**2**	**2.555**	**0.305**
14	भँवरलाल अमानसिंह रायसिंह जगन्नाथसिंह पिता कानसिंह, भगवतसिंह, लक्ष्मणसिंह, इन्दरसिंह, जसवंतसिंह पिता रतनसिंह, धापूकुंवरबाई विधवा रतनसिंह, भंवरीबाई पुत्री किशनसिंह, राजकुंवरबाई बेवा नारायणसिंह, भंवरबाई, भंवरिया ई पुत्री नारायणसिंह, गोर्वधनसिंह, भगवानसिंह, जवाहरसिंह, कमलसिंह, खुमानसिंह, शकुंतला, पुत्री खुमानसिंह , देवीसिंह पिता गोरधनसिंह, रामनाथसिंह, कालूसिंह पिता रूपसिंह, उमरावसिंह, पिता पवर्तसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	31	0.443	0.105
	योग	**1**	**0.443**	**0.105**
15	प्रेमसिंह शैतानबाई पिता नेकसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	29/3/1	0.262	0.125
	योग	**1**	**0.262**	**0.125**
16	भँवरसिंह पिता नेकसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	29/3/2	0.750	0.180
	योग	**1**	**0.750**	**0.180**
	कुलयोग :–	**22**	**20.450**	**8.224**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 4501-भू-अर्जन-2019 राजगढ़, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

अनुसूची

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में सादलपुर क्र 02 जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

सादलपुर क्र 02 जलाशय तहसील – जीरापुर

क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. मे)
	निजी भूमि सादलपुर क्र 02 जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम सादलपुर की भूमि	16.746
	योग	16.746

अनुसूची (2)

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मीनारायण प्रहलाद पिता मांगीलाल पारीबाई वि. मांगीलाल सरदारबाई पिता मांगीलाल अयोध्याबाई गुडडीबाई पिता किसन जाति दांगी	45, 47/2	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.065
2	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल बापू नारायण पिता किशनलाल जाति दांगी	46, 47/1	0.108	0.108
		96	0.012	0.012
		97	0.040	0.040
		99	0.133	0.100
	योग	4	0.293	0.260

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
3	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल जाति दांगी	53/2	0.041	0.041
		56/3	0.061	0.061
		57/1	0.061	0.061
		57/2	0.076	0.076
		63/1/2	0.190	0.190
		63/2/1	0.113	0.113
		66/2	0.049	0.049
	योग	7	0.591	0.591
4	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल दरियावबाई छीताबाई पिता भोला बापूलाल नारायण पिता किसन जाति दांगी	65	1.186	0.320
		202	0.243	0.243
		212	2.003	0.580
	योग	3	3.432	1.143
5	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल बापू नारायण पिता किशनलाल जाति दांगी	228	0.454	0.454
		218	0.445	0.445
	योग	2	0.899	0.899
6	पूरसिंह पिता रामलाल जाति दांगी	48/1	0.031	0.031
		76/1	0.024	0.024
		83	0.061	0.061
	योग	3	0.116	0.116
7	बद्रीलाल पिता प्रभूलाल जाति दांगी	48/2	0.062	0.062
		50/1	0.064	0.064
	योग	2	0.126	0.126
8	देवीलाल कुशालसिंह पिता मांगीलाल जाति दांगी	49	0.085	0.085
		50/2	0.021	0.021
	योग	2	0.106	0.106

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
9	देवीलाल कुशालसिह पिता मांगीलाल सीताबाई बेवा मांगीलाल मदनलाल पिता काशीराम जाति दांगी	51/1	0.121	0.121
		52	0.036	0.036
		53/3	0.042	0.042
		56/4	0.050	0.050
		58/2	0.053	0.053
		60	0.049	0.049
		62/2	0.073	0.073
		63/2/2	0.049	0.049
	योग	8	0.473	0.473
10	गिरधारी पिता प्रभूलाल जाति दांगी	58/1	0.049	0.049
		59	0.057	0.057
		66/1	0.073	0.073
	योग	3	0.179	0.179
11	बापूलाल पिता किशन जाति दांगी	53/1/1	0.041	0.041
		54/1	0.029	0.029
		55/3/1	0.065	0.065
		56/2/1	0.025	0.025
		63/1/1/1	0.047	0.047
		63/1/1/3	0.048	0.048
		219/1/1	0.041	0.041
	योग	7	0.296	0.296
12	नारायण पिता किशन जाति दांगी	53/1/2	0.042	0.042
		54/2	0.028	0.028
		55/3/2	0.065	0.065
		56/2/2	0.026	0.026
		63/1/1/2	0.047	0.047
		63/1/1/4	0.048	0.048
		219/1/2	0.040	0.040
	योग	7	0.296	0.296
13	फूलसिंह मानसिंह गिरधारी बद्रीलाल राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति दांगी	55/1	0.007	0.007
	योग	1	0.007	0.007

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
14	राधेश्याम कन्हैयालाल पिता पुरीलाल बंसन्तीबाई पिता पूरीलाल जाति दांगी	56/1	0.044	0.044
		62/1/1	0.100	0.100
	योग	2	0.144	0.144
15	ग्यारसीराम बद्रीलाल पूरसिंह पिता हरलाल भंवरीबाई सम्पतबाई पुत्रीया हरलाल गुलाबबाई बेवा मांग्या कालू पिता मांग्या मांगीलाल पिता भंवरिया जाति भील नि. भालता	61	0.065	0.065
		75	0.049	0.020
	योग	2	0.114	0.085
16	गोरधन सुल्तान पिता रतन जाति दांगी	62/1/2	0.021	0.021
	योग	1	0.021	0.021
17	रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति दांगी	64/1	0.061	0.061
		67/1/1	0.075	0.075
		69/1/1	0.011	0.011
		73/2	0.105	0.105
		104/1	0.105	0.080
	योग	5	0.357	0.332
18	भंवरलाल पिता बापूलाल जाति दांगी	64/2	0.060	0.060
		67/1/2	0.076	0.076
		69/1/2	0.010	0.010
		104/2	0.105	0.080
		107,108	0.121	0.121
	योग	5	0.372	0.347
19	प्रहलाद पिता पुरा जाति दांगी	67/2	0.075	0.075
		69/2	0.010	0.010
	योग	2	0.085	0.085
20	सुन्दरबाई बेवा शिवनारायण कुशालसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी	67/3	0.075	0.075
	योग	1	0.075	0.075
21	गोवर्धन पिता नारायण जाति दांगी	67/4	0.075	0.075
		69/4	0.011	0.011
	योग	2	0.086	0.086

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
22	नाथूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	68/1	0.029	0.029
		70/2	0.039	0.039
		103	0.077	0.020
	योग	3	0.145	0.088
23	नाथूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	219/2	0.077	0.077
	योग	1	0.077	0.077
24	नारायण पिता जगन्नाथ जाति दांगी	68/2	0.028	0.028
	योग	1	0.028	0.028
25	कमलसिंह पिता कंवरलाल रतनबाई वि. कंवरलाल बनेसिंह बापू पिता मानसिंह जाति दांगी	68/3	0.028	0.028
		70/1	0.074	0.074
	योग	2	0.102	0.102
26	नरसंग पिता पुरा जाति दांगी	69/3	0.011	0.011
	योग	1	0.011	0.011
27	रामबक्ष पिता नानूराम जाति दांगी	71	0.186	0.186
	योग	1	0.186	0.186
28	रामबगस पिता नानूराम जाति दांगी	79	0.166	0.166
	योग	1	0.166	0.166
29	रामप्रसाद पिता नारायण जाति दांगी	72/1	0.056	0.056
	योग	1	0.056	0.056
30	रामप्रसाद पिता नारायण जाति दांगी	72/2	0.057	0.057
		76/2	0.025	0.025
		77	0.077	0.077
		86/2	0.073	0.073
	योग	1	0.232	0.232
31	रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति दांगी	73/1	0.089	0.089
	योग	1	0.089	0.089

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
32	रामप्रसाद पिता मांगीलाल मोतीलाल नरसंगलाल पिता नाथू मथरीबाई पिता नाथू जाति दांगी	74	0.097	0.097
		78	0.121	0.121
		82	0.069	0.069
		85	0.109	0.109
		233	1.060	0.752
	योग	5	1.456	1.148
33	प्रभूलाल पिता नन्दा जाति दांगी	86/1/1	0.068	0.068
	योग	1	0.068	0.068
34	पुरीलाल पिता नन्दा जाति दांगी	86/1/2	0.034	0.034
	योग	1	0.034	0.034
35	कंचनबाई वि. अमरसिंह प्रहलाद राधेश्याम गीताबाई गुड्डीबाई सीताबाई पिता अमरसिंह जाति दांगी	87	0.101	0.101
	योग	1	0.101	0.101
36	प्रहलाद राधेश्याम पिता अमरसिंह कंचनबाई वि. अमरसिंह गीताबाई गुड्डीबाई सीताबाई पिता अमरसिंह जाति दांगी	88/1	0.095	0.095
		203/3	0.077	0.077
		214/3	0.015	0.015
		221/4	0.065	0.065
		223/1	0.060	0.060
	योग	5	0.312	0.312
37	गीताबाई पति रामप्रसाद जाति दांगी	88/2	0.094	0.094
	योग	1	0.094	0.094
38	रोडूलाल मदन पिता भैरू जाति दांगी	88/3	0.047	0.047
	योग	1	0.047	0.047
39	रोडूलाल पिता भैरू जाति दांगी	192/2	0.073	0.035
		205	0.032	0.032
		209	0.275	0.275
	योग	3	0.380	0.342
40	शिवसिंह पिता बापूलाल जाति दांगी	88/4	0.047	0.047
	योग	1	0.047	0.047

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
41	गोरधन पिता मनोहरलाल जाति दांगी	89/1	0.176	0.176
		90	0.065	0.065
		94/3	0.049	0.049
	योग	3	0.290	0.290
42	मनोहरलाल हरिसिंह किशनलाल पिता धुरीलाल गीताबाई यशोदाबाई कमलबाई पिता धुरीलाल जाति दांगी	89/2	0.059	0.059
	योग	1	0.059	0.059
43	कंवरलाल मोतीलाल पिता देवीसिंह जाति दांगी	91/1	0.018	0.018
		190/1	0.251	0.220
		211/1	0.109	0.060
	योग	3	0.378	0.298
44	गंगाराम पिता कनीराम मोताबाई पिता कनीराम जाति दांगी	91/2	0.018	0.018
		190/2	0.251	0.220
	योग	2	0.269	0.238
45	नारायण पिता उदा मांगीबाई पिता उदा जाति दांगी	92,93	0.040	0.040
		192/1	0.069	0.050
		193	0.121	0.121
		207, 208	0.069	0.069
		210	0.166	0.166
		213	0.121	0.121
	योग	6	0.586	0.567
46	हीरालाल पिता रामलाल जाति दांगी	94/1	0.099	0.099
	योग	1	0.099	0.099
47	केसरसिंह पिता रामलाल जाति दांगी	94/2	0.050	0.050
	योग	1	0.050	0.050
48	हीरालाल मांगीलाल गोरीलाल पिता पुरीलाल दरयावबाई कृष्णाबाई पिता पुरीलाल जाति दांगी	98	0.069	0.069
	योग	1	0.069	0.069
49	मनोहरलाल पिता धुरीलाल जाति दांगी	105/1/1, 106/1/1	0.081	0.081
	योग	1	0.081	0.081

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
50	रामबाबू पिता कन्हैयालाल रोडीबाई वि. कन्हैयालाल दुर्गाबाई सुमित्राबाई पिता कन्हैयालाल जाति दांगी	105/1/2 106/1/2	0.040	0.040
	योग	1	0.040	0.040
51	देवीलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी	105/2/1 106/3/1	0.040	0.040
	योग	1	0.040	0.040
52	चम्पालाल पिता मांगीलाल जाति दांगी	105/2/2	0.040	0.040
	योग	1	0.040	0.040
53	रोडीलाल पिता पुरा जाति दांगी	109	0.105	0.105
	योग	1	0.105	0.105
54	नारायण पिता मोहनलाल जाति दांगी	110	0.069	0.020
	योग	1	0.069	0.020
55	रंगलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	145	0.012	0.012
	योग	1	0.012	0.012
56	शिवलाल फूलसिंह श्रीलाल कंवरलाल पिता उदा देवीलाल पिता मेहताब मांग्या गुलाब पिता सवला राधेश्याम रामप्रसाद पिता जगन्नाथ जमनीबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी	151	0.057	0.057
	योग	1	0.057	0.057
57	धुला पिता मेहताब जाति दांगी	170	0.081	0.081
	योग	1	0.081	0.081
58	बदनबाइ बैवा मांगीलाल जाति दांगी	171	0.081	0.081
	योग	1	0.081	0.081
59	रोडीलाल मांगीलाल कंवरलाल पिता रामलाल गुलाबबाई पिता रामलाल जाति दांगी	172	0.049	0.049
		176	0.049	0.049
	योग	2	0.098	0.098

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
60	उंकारलाल बजेसिंह पिता देवीसिंह जाति दांगी	173	0.316	0.316
		177	0.081	0.081
	योग	2	0.397	0.397
61	काशीराम पिता मेहताब जाति दांगी	174	0.113	0.113
	योग	1	0.113	0.113
62	फूलसिंह पिता प्रभूलाल जाति दांगी	175/1/1	0.028	0.028
	योग	1	0.028	0.028
63	शिवलाल पिता प्रभूलाल जाति दांगी	175/1/2	0.029	0.029
	योग	1	0.029	0.029
64	देवीलाल पिता मोहनलाल जाति दांगी	175/2	0.056	0.056
	योग	1	0.056	0.056
65	मदन पिता भैरू जाति दांगी	178/1/1	0.035	0.035
		178/1/2	0.034	0.034
		178/2/1	0.035	0.035
		178/2/2	0.034	0.034
	योग	4	0.138	0.138
66	बापू पिता किशन जाति दांगी	194/1	0.020	0.020
		196/1	0.010	0.010
	योग	2	0.030	0.030
67	मदन पिता किशन जाति दांगी	194/2	0.020	0.020
		196/2	0.010	0.010
		220/2	0.027	0.027
		221/2	0.033	0.033
		203/2	0.039	0.039
		214/2	0.007	0.007
	योग	6	0.136	0.136
69	रामबगस पिता किशन जाति दांगी	194/3	0.020	0.020
		196/3	0.020	0.020
	योग	2	0.040	0.040
70	मांगीलाल पिता उंकार जाति दांगी	195	0.093	0.093
		199	0.040	0.040
	योग	2	0.133	0.133

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
71	मांगीलाल पिता पुरा धापूबाई रूपाबाई पिता पुरा रामसिंह पिता खुमानसिंह जाति दांगी	198, 200	0.170	0.170
	योग	1	0.170	0.170
72	भैरू पिता किशन जाति दांगी	203/1	0.038	0.038
		214/1	0.008	0.008
		220/1	0.026	0.026
		221/1	0.032	0.032
	योग	4	0.104	0.104
73	मांगीलाल पिता प्यारा सुडीबाइ पिता प्यारा जाति दांगी	203/4	0.077	0.077
		214/4	0.015	0.015
		220/3	0.052	0.052
		221/3	0.064	0.064
		223/4	0.060	0.060
	योग	5	0.268	0.268
74	नारायण पिता गोपी जाति दांगी	204	0.032	0.032
	योग	1	0.032	0.032
75	मोतीलाल पिता देवसिंह जाति दांगी	206	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.085
76	गोपी पिता घीसा जाति दांगी	215	1.481	1.481
		222	0.061	0.061
		224	0.089	0.089
		225	0.101	0.101
	योग	4	1.732	1.732
77	प्रभूलाल पिता सुखाराम जाति दांगी	217/1/1	0.155	0.030
	योग	1	0.155	0.030
78	मांगीलाल पिता गंगाराम जडावबाई बैवा गंगाराम जाति दांगी	217/1/2	0.155	0.030
	योग	1	0.155	0.030
79	कैलाश पिता गोपीलाल जाति दांगी	223/2	0.031	0.031
		223/3	0.031	0.031
		226	0.040	0.040
	योग	3	0.102	0.102

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
80	हजारीलाल पिता गुलाब जाति दांगी	229/2	0.312	0.107
	योग	1	0.312	0.107
81	बद्रीलाल मदनलाल बाबरसिंह पिता काशीराम जाति दांगी	230	0.530	0.530
	योग	1	0.530	0.530
82	मोतीलाल पिता भेरू पानीबाई बैवा भेरू धूला जगन्नाथ कान्हा पिता रामा जाति चमार	231/1	0.213	0.213
	योग	1	0.213	0.213
83	कान्हा पिता रामा जाति चमार	231/2	0.212	0.212
	योग	1	0.212	0.212
84	ऊंकारलाल पिता देवसिंह जाति दाँगी पता सादलपुर	169/1	0.108	0.108
	योग	1	0.108	0.108
85	बजेसिंह पिता देवीसिंह जाति दाँगी पता सादलपुर	169/2	0.108	0.050
	योग	1	0.108	0.050
86	देवीलाल पिता मांगीलाल जाति दाँगी पता सादलपुर	169/3	0.108	0.030
	योग	1	0.108	0.030
87	देवीलाल चंपालाल पिता मांगीलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	166/3	0.027	0.027
	योग	1	0.027	0.027
88	मांगीलाल शिवलाल मोतीलाल पिता ऊंकार प्रेमसिंह पिता हीरालाल ग्यारसीबाई बेवा हीरालाल जाति दाँगी निवासी ग्राम	152/1	0.044	0.044
	योग	1	0.044	0.044
89	गंगाराम कुशलसिंह पिता पूरा केसरबाई वि पूरा जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	152/2	0.045	0.045
	योग	1	0.045	0.045

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
90	मांगीलाल गोरधन पिता भंवरलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	142/1	0.022	0.022
	योग	1	0.022	0.022
91	नारायण आ मोहनलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	142/2	0.023	0.023
	योग	1	0.023	0.023
92	पुरीलाल पिता भंवरलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/1	0.265	0.265
	योग	1	0.265	0.265
93	कमलसिंह पिता कंवरलाल, रतनबाई वि. कंवरलाल, बनेसिंह बापू पिता मानसिंह जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/2	0.044	0.044
	योग	1	0.044	0.044
94	नारायण पिता जगन्नाथ जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/3	0.044	0.044
	योग	1	0.044	0.044
95	नाथुलाल पिता जगन्नाथ जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/4	0.044	0.044
	योग	1	0.044	0.044
	कुल योग –		20.320	16.746

नोट :– भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू–अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 7644-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2019 छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 सितम्बर 2019

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम–गाजनडोह की गाजनडोह जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"की धारा–11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग–1 में दिनांक 24 अगस्त, 2018 को किया गया है।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के पत्र कमांक 2774/कार्य/भू–अर्जन/2017–18 छिन्दवाडा दिनांक 08.08.2018 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"की धारा–19 (7) उपधारा–1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है ।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

क्र. 7663-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2019

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम–ढोडाबोरगांव व ढोडाबोरगांव वि0सा0 1, तहसील सौंसर की छिन्देवानी जलाशय के (नहर रहित) बांध निर्माण के लिये लघु सिंचाई निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"की धारा–11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग–1 में दिनांक 24 अगस्त, 2018 को किया गया है।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के पत्र कमांक 3560/कार्य/भू–अर्जन/2017–18 छिन्दवाडा दिनांक 19.09.2019 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"की धारा–19 (7) उपधारा–1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है ।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 33-अ-82-16-17-कामथ-10893 बैतूल दिनांक 1 अक्टूबर 2019

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची–2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	**मुलताई**	**कामथ**	**0.199**	**ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन**

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हें0 में
1	2	3	4	5
1	सावन्या व. राधेलाल, जाति पंवार, साकिन देह भूमि स्वामी	9/6	0.446	0.004
2	विश्वपालसिंह व. नत्थूसिंह, रघुवंशी, मनमोहनसिंह व. छोटेसिंह रघुवंशी, पप्पु व. छोटेलाल,साकिन मोरखा, भैयालाल व. शिवबा जाति अ0जा0 निवासी ग्राम छिन्दी भूमि स्वामी	10/1	0.861	0.171
3	कुंजबिहारी , मोहनलाल, जुगलकिशोर व. रतनलाल, कमला व. रतनलाल,जाति तेली साकिन मुलताई	32/2	0.247	0.022
4	करूणा जौ. सुभाष, प्रीति जौ0 राजेश, जाति कुन्बी, सा. मुलताई	33/5	0.744	0.002
	योगः–		**2.254**	**0.199**

2– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र. 0003-अ-82-16-17-हमलापुर-10894

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(है0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	हमलापुर	1.526	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

स0 क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	ओमप्रकाश, किशोर, नरेन्द्र, नरेश व. रतनलाल, पुष्पा, शांता पिता रतनलाल, संदीप व. ओमकार, अनिता पिता ओमकार, सरस्वती पति ओमकार निवासी बैतूल गंज	274	0.938	0.230
2	रामू, फतन व. जयराम, ओमकार, प्रकाश, किशोर, नरेश, मुन्ना, पुष्पा व.रतन, फुन्दा पिता रतन निवासी बदनूरढाना	275/3	0.822	0.101
3	तुलसीराम, राकेश, राजेश व. भग्गू, लक्ष्मीनारायण व. भग्गू, लीला, रेवती पिता भग्गू	275/1	0.821	0.121
4	अनिता व. वीरनसिंह निवासी घाट पिपरिया	268/1	2.873	0.128
5	विनय सिंह व. दीपचंद रघुवंशी निवासी सोनेगांव	276/2	2.023	0.064
6	योगेश सिंह व. दीपचंद ठाकुर निवासी बैतूल गंज	276/1	1.235	0.046
7	अरूण चंद्र व. चंद्रमूल अवस्थी निवासी हमलापुर	266	5.731	0.324
8	गणेश राम व. छोटेलाल निवासी हमलापुर	264/1	0.001	0.001
9	सैयद आजम अली व. हुजब्बर अली निवासी हमलापुर	264/2 264/3	1.417 0.606	0.163 0.068
10	जैबूनिन्सा जौ. सैयद जफरअली निवासी किदवई वार्ड बैतूल	264/4	0.809	0.106

11	सुभाष व. चंद्रमूल अवस्थी निवासी बैतूल	296	0.522	0.121
12	सतीश पिता रतनलाल निवासी हमलापुर ग्राम नौकर	295	2.351	0.053
योग			20.149	1.526

(2) चूंकि हमलापुर रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 0007–अ–82–16–17–बरसाली–10895

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(है0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	बरसाली	0.087	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

स0 क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	नवीन, कमलेश व. बाबूलाल , प्रवीण, गजेन्द्र, दिनेश व. बाबूलाल, लक्ष्मी बेबा बाबूलाल निवासी बैतूल	179/1	0.040	0.040
2	सुरपती बाई बेवा चिन्धु, शिवचरण व. चिन्धु, सुगन्ती बाई, पूर्णबाई, रामप्यारी, सुनिता बाई, दानीबाई पिता चिन्धु	179/2	0.955	0.047
योग			0.995	0.087

(2) चूंकि बरसाली रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 0008-अ-82-16-17-भैंसदेही-10896

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(है0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	भैंसदेही	0.657	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

स0 क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	गुठानी व. किसनलाल निवासी भैंसदेही	132/1	0.303	0.100
2	नत्थू व. बिसनलाल निवासी भैंसदेही	132/2	0.076	0.028
3	बाबूलाल, सुकू, लुटूराम, रेखाराम, ख्यलीराम व.दल्लू नौसी बेवा दल्लू निवासी भैंसदेही	137	0.308	0.072
4	देवमन व. रामलाल	138/1	0.202	0.084
5	रामकली जौ. सुखदेव निवासी भैंसदेही	138/2 138/3	0.405 0.203	0.083 0.069
6	दमयन्ती जौ. कल्लूसिंग, मालती जौ. लल्लूसिंग रघुवंशी निवासी भैंसदेही	140	0.554	0.221
योग			2.051	0.657

(2) चूंकि भैंसदेही रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 0025-अ-82-16-17-बरसोड़ी बुजुर्ग-10897

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(है0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	परसोड़ी बुजुर्ग	0.227	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

स0 क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	सुन्दरलाल व. बुद्धु , राजेश , दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल ना.बा.व. बली सुन्दरलाल सा.बैतूल	2	1.979	0.138
2	सुन्दरलाल व. बुद्धु , राजेश , दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल ना.वा.वली सुन्दरलाल सा.बैतूल	3	0.089	0.089
योग			2.068	0.227

(2) चूंकि परसोड़ी बुजुर्ग रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 36-अ-82-16-17-मुलताई-10898

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची–2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	**मुलताई**	**मुलताई**	**0.791**	**ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन**

अनुसूची–2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा हे0में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	भन्नू व0 छूर्री, फत्तू व0 भभूत्या, फकीरचंद, चिंतू व0 कोल्हू, मुन्नी पिता कोल्हू सा0 परमंडल	239/1	0.065	0.030
		239/3	0.648	0.074
2	मुन्नी पिता कोल्हू निवासी परमंडल	239/2	0.282	0.062
3	भैयालाल, हरिदास, चेतन व0 ओझा, किरण, गीता, सरोज, सुनिता पिता ओझा, गजराबाई बेवा ओझा जाति मेहरा सा0 देह	241	1.143	0.074
4	महादेव, शिवदास व0 लक्ष्मण, सहमद बेवा लक्ष्मण, गणेश, मुकेश, व0 शंकर, इमरती बेवा शंकर मेहकार	242	2.287	0.063
5	बंशीलाल व0 जाधो सा0 परमंडल	243/5	1.283	0.022
6	राजेश कुमार, अशोक कुमार व0 गेंदलाल, ज्योति पिता गेंदलाल जाति पंवार सा0देह	244/2	0.397	0.033
7	मालतीबाई बेवा बिहारीलाल, सुरेश, दिनेश व0 बिहारीलाल, निर्मलाबाई पति सुखराम पिता बिहारीलाल सा0 देह	245/1	0.294	0.116

8	कमलेश व0 हीराजी, दुलारी, संगीता, पिता हीराजी कम लना बा व0 हीराजी वली मां सुधा, सुधा बेवा हीराजी जाति पंवार सा देह	245/2	0.320	0.103
9	हीराबाई बेवा सावन्या, गणेश व0 सावन्या, शकुन्तला पिता सावन्या जाति पंवार सा0 देह	245/3	0.305	0.080
10	शांती जौजे बाबूलाल सा0 देह	246	0.801	0.053
11	लूथा जौजे नत्थू, माधो व0 टुकड्या लालजी व0 कन्हैया, सोनाय बेवा कन्हैया, भूरसी जौजे रामचन्द्र सा0 परमंडल	273	0.049	0.027
12	श्री रामचन्द्र जी मंदिर	356	0.040	0.040
13	तारेश कुमार वल्द मुन्नालाल ना.बा. अनिता पिता मुन्नालाल, वली मां मुन्नी, मुन्नी बेवा मुन्नालाल सुशीला जौजे इन्द्रपाल गिक्या वल्द मिट्ठू सरस्वती जौजे बाजेराव, हेमलता जौजे लक्ष्मी नारायण विजय कुमार प्रशांत कुमार वल्द राधाकृष्ण टुकड्दास रमेश, गणेश, मनोहर, दीनू वल्द सोजर सरस्वती सुखवती पिता सोजर सुबेबाई जौजे अर्जुन नान्हु वल्द राम सा.देह	355/1	2.027	0.014
	योगः–		9.941	0.791

2– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

प्र. क्र. 27-अ-82-16-17-चिचण्डा-10899

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(है0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	चिचण्डा	0.046	ईटारसी –नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे0 में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	मारोती पिता चैत्या, सा0 देह	165/1/1	0.266	0.032
2	संतोषराव व0 चैत्या सा0 देह	165/1/2	0.265	0.014
योग			0.531	0.046

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 36-अ-82-16-17-परमण्डल-10900

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची–2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	परमण्डल	1.620	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	102	0.550	0.003	माखन वल्द रामलाल सा.देह
2	107	0.243	0.064	कलावती जौ. जंगली जाति किराड़ सा. देह भूमि स्वामी
3	108/1	0.214	0.053	सुईला बेवा गेन्दु ग्यारसी नान्हों भूली पिता गेन्दू मुन्ना वल्द रोन्या अन्नू जेतूल पिता रोन्या नन्दू शंकर हरि विनोदी व छितर्या बकाराम वल्द तुलसीराम सुन्दरी उर्फ सुरती बेवा तुलसीराम सावित्री बेवा पन्ना ईश्वर भरत वल्द पन्ना झुना कसिया रामकला पिता पन्ना कस्तुरी बेवा चैतू राजेराम कुवरलाल जोगी भैयालाल वल्द चैतू भूमि स्वामी
4	108/2	0.044	0.016	पुन्या, अनिल शेषराव दीनानाथ वल्द बिहारी जाति पंवार पता सा.देह भूमि स्वामी
5	108/3	0.068	0.020	सावन्या वल्द लोहबा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

6	110	0.073	0.049	मुन्नी पिता गांवजी, बिहारी वल्द दमड्या गेंदी पिता दमड्या हिराजी फाग्या रमेश दिनेश सुरेश पिता प्यारेलाल गुलस पिता प्यारेलाल
7	166/1	1.642	0.064	अन्ना वल्द किसन जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	161/1	0.466	0.001	काशीराम वल्द डोमा पता सा. देह भूमि स्वामी
9	164	0.672	0.036	जगली, टंटी वल्द बिरजू सा. देह भूमि स्वामी
10	165	0.170	0.076	टंटी वल्द बिरजू जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	156/4	0.756	0.067	सावन्या वल्द लोहबा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	156/5	0.899		
12	472/1	0.425	0.145	जूगली घुंडी पिता बीरबल जाति किराड़ सा.देह भूमि स्वामी
13	461/5	0.158	0.028	सावल बेवा मूलचंद शिवदयाल कमलेश, बाबूलाल पप्पू वल्द मूलचंद कमल ईमला पिता मूलचंद फूलचंद, हेमराज वल्द हरीराम जाति किराड़ सा.देह भूमि स्वामी
	461/6	0.076		
	461/7	0.082		हेमराज वल्द हरीराम जाति किराड़ पता सा.देह
14	460/1	0.386	0.069	भूरा वल्द सद्दू कमला बायजा सारजी पिता सद्दू जाइ बेवा मौजी शंकर गणपति, बालकिसन सुभाष वल्द मंगलू हीरा जसोदी तुलसी पिता मंगलू अनिल, अनिल हरि, चिरोजी वल्द चैतराम मीरा, मथरा, गुलस, रूखमणी पिता चैतराम प्रमीला बेवा बंशी दुर्गेश, हेमन्त रविना ना.बा.पिता बंशी वली मां प्रमिला पन्ना वल्द गणेश काशी रक्खू पिता मेजर झुनिया बेवा चैतराम जाति पंवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	458/2	0.567	0.079	किशोरी राजेश वल्द धनजी गिरजा पिता धनजी जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी
16	438/4	0.303	0.140	गनपति किशोरी वल्द भजन सा.देह भूमि स्वामी
17	438/5	0.152	0.014	लंगूर वल्द धन्नू सा.देह भूमि स्वामी

18	438/1	0.380	0.007	लुंगर वल्द धन्नू चैती जौ. भुरा दसरी जौ. सेवकराम जुगन्ती जौ. नत्थू सा.देह भूमि स्वामी
19	440	0.781	0.020	भूरा वल्द सद्दू सा. देह भूमि स्वामी
20	439/1	0.062	0.020	अनिल वल्द चैतराम जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी
21	439/8	0.178	0.019	शंकर वल्द मंगलू जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी
22	591/1	0.526	0.097	पूरनलाल व0 सिदी , मुनिया, चुनिया नान्ही, कमला पिता सिदी सा0 देह
23	591/2	0.591	0.098	गिरीराज बेवा भभूत्या, महादेव व. भभूत्या, कान्ता पिता भभुत्या, संगा पुत्री जीवत्या सा0 देह
24	596	1.837	0.218	हरीराम, हरीलाल वल्द राजेराम, बाया, रैसुल, जैतुल पिता राजेराम शिवचरण कष्णा वल्द पन्ना अनिता , सुनिता पिता पन्ना दुर्गा बेवा नारायण सुमन बेवा नारायण, दीपिका कल्पना, नीशा ना.बा. वली मां सुमन बेवा नारायण रूपा ना. बा. वली मां दुर्गा बेवा नारायण भमि स्वामी
25	597	1.910	0.121	माहगी बेवा धन्नू जयनाबाई बेवा लक्ष्मण दिनेश महेश रमेश पिता लक्ष्मण सगुनबाई पिता लक्ष्मण जाति पंवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
26	598	2.088	0.096	मस्जिद, इसमाईल सरवराकार सहाबुद्दीन वल्द रफी उद्दीन सा. मुलताई भूमि स्वामी
योग			1.620	

2– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

प्र. क्र. 34-अ-82-16-17-चिचण्डा-10901

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची–2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	**मुलताई**	**थावरिया**	**0.240**	**ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन**

अनुसूची–2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे0 में	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	कृष्णराव वल्द दमडू चंदना, इंदूबाला पिता दमडू कमला पिता दमडू बुन्दा पिता गोपाल यादोराव वल्द लंगड़ा शोभा बाली कंचू पिता सुखदेव जान्या, भीमा,नंदू पिता कशो शकुन ललीता, भूरा प्रमिला पिता केशो अनिता बेवा भैयालाल जयराम ना.बा.वल्द भैयालाल कंचना, अर्चना पिता भैयालाल जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	48	0.138	0.064
2	बाया बेवा माधोराव, राकेश, वल्द माधोराव, जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	49/1	0.042	0.008
3	नत्थू व. माधोराव, सुशीला, कुसुम व. माधोराव, जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	49/2	0.063	0.013
4	बाया बेवा माधोराव, राकेश, नत्थू वल्द माधोराव, सुशीला कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	50/1	0.018	0.002
5	संतोष, कृष्णा वल्द शेषराव, अनिता पिता शेषराव, अंजू बेवा साहेबराव, अशोक राजू पिता साहेबराव छाया, माया पिता साहेबराव साकिन चिखली खुर्द	50/2	0.018	0.002
6	वारूल बेवा पंजाबराव, महादेव वल्द पंजाबराव, सुनिता, गीता पिता पंजाबराव, बाबूराव वल्द जिजोबा, गुन्ता बेवा डोमा ,वात्या, जगन वल्द डोमा, सुमन बेवा कचरू, पंचफुला ना.बा. पिता कचरू वली मा सुमन धर्मेन्द्र, जितेन्द्र वल्द कृषक साकिन चिखलीखुर्द	50/3	0.069	0.008

7	राजाराम वल्द तीमा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखर्दु	51/1	0.151	0.005
8	राधो किसनी कमला पिता कास्या, पिखी बेवा कास्या जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/2	0.152	0.006
9	संतोष वल्द भैया जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/3	0.076	0.002
10	रामराव, रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान वल्द श्यामा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/4	0.152	0.005
11	गया बेवा पंजाबराव अर्चना बेवा अनिल, जिया ना.बा.वल्द अनिल वली मां अर्चना, मनीष वल्द पंजाबराव, मनीषा, मीना, लीना पिता पंजाबराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/5	0.076	0.002
12	रामराव वल्द आनंदराव, बुधराव नान्ही बेवा भद्दू, ओमप्रकाश यशवंतराव संतोषराव, भीमराव वल्द भद्दू सुमन ललीता संध्या पिता भद्दू जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	53/1	0.453	0.025
13	कलाबाई व. रामा, साकिन पारडसिंगा	61/1	0.125	0.017
14	श्यामराव व0 पाण्डू साकिन चिखलीखुर्द	62	3.274	0.043
15	कमला बेवा उमराव, राजू उर्फ राजेश, मुकेश व0 उमराव, उमा, रेखा, गीता पिता उमराव सा0 देह	63	1.772	0.038
योग				0.240

2– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 542–भू–अर्जन–2019 सीधी, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहॉ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा – 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

" अनुसूची"

1– भूमि का विवरणः–

ग्राम का नाम :– कुड़ैनिया
तहसील :– बहरी
जिला :– सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– निजी रकवा 0.803 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	229	0.120	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला – सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
2	241	0.071		
3	243	0.003		
4	242	0.037		
5	320	0.034		
6	408	0.001		
7	407	0.017		
8	406	0.065		
9	411	0.021		
10	446	0.020		
11	451	0.091		
12	452	0.035		
13	404	0.037		
14	454	0.002		
15	450	0.044		
16	495	0.111		
17	494	0.047		
18	447	0.012		
19	230	0.035		
Total	19 किता	0.803 Ha.		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
4. धारा–11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा–15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है।
5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 544–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा – 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

" अनुसूची"

1– भूमि का विवरणः–

ग्राम का नाम :– मऊ
तहसील :– बहरी
जिला :– सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– निजी रकवा 1.672 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	91	0.100	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला – सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
2	60	0.075		
3	89	0.075		
4	88	0.136		
5	64	0.040		
6	66	0.090		
7	67	0.016		
8	68	0.005		
9	69	0.024		
10	72/1	0.070		
11	72/2	0.040		
12	74	0.085		
13	75	0.018		
14	169	0.002		
15	170	0.075		
16	171	0.032		
17	268	0.040		
18	269	0.070		
19	270	0.002		
20	262	0.050		
21	263	0.030		
22	199	0.036		
23	195	0.010		
24	196	0.010		
25	197/2	0.060		
26	198	0.045		
27	201	0.028		
28	202	0.008		
29	226	0.015		
30	227	0.057		
31	228	0.070		
32	229	0.035		
33	222	0.048		
34	223	0.008		
35	224	0.055		
36	211	0.027		
37	212	0.085		
Total	37 किता	1.672 Ha.		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
4. धारा–11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा–15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है।
5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 546-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहॉ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा – 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

" अनुसूची"

1– भूमि का विवरणः–

ग्राम का नाम :– झुमरिया
तहसील :– बहरी
जिला :– सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– रकवा 1.323 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	127/1	0.120	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला – सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु।
2	127/2			
3	199	0.025		
4	256/2	0.060		
5	256/1	0.110		
6	276/2	0.240		
7	276/3	0.150		
8	28/1	0.020		
9	198/2/2	0.016		
10	27/7	0.110		
11	118	0.056		
12	117	0.052		
13	23	0.030		
14	14/2	0.090		
15	119/3	0.050		
16	119/2	0.035		
17	119/1	0.020		
18	12	0.010		
19	10	0.010		
20	225	0.014		
21	226	0.060		
22	230	0.020		
23	120	0.025		
Total	23 किता	1.323 Ha.		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है।
3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
4. धारा–11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा–15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है।
5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 548-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहॉ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा – 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

" अनुसूची"

1– भूमि का विवरणः–

ग्राम का नाम :– बेलहा
तहसील :– बहरी
जिला :– सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– निजी रकवा 2.576 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	18	0.120	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला – सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
2	32	0.160		
3	33	0.040		
4	35	0.072		
5	37	0.064		
6	38	0.001		
7	39	0.072		
8	40	0.015		
9	41	0.015		
10	42	0.070		
11	43	0.004		
12	44	0.050		
13	76	0.115		
14	77	0.036		
15	78	0.036		
16	85	0.030		
17	101	0.070		
18	102	0.050		
19	106	0.028		
20	108	0.116		
21	114	0.088		
22	115	0.002		
23	116	0.032		
24	119/1	0.080		
25	119/2	0.120		
26	133/1	0.232		

27	133/2			
28	133/3			
29	134	0.044		
30	135/1	0.040		
31	135/2			
32	136/1	0.210		
33	136/2			
34	137	0.014		
35	1113	0.040		
36	1114	0.015		
37	1127	0.435		
38	1145	0.060		
Total	38 किता	2.576 Ha.		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
4. धारा–11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा–15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है।
5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 550-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहॉ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा – 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

" अनुसूची"

1– भूमि का विवरणः–

ग्राम का नाम :– खैरा
तहसील :– बहरी
जिला :– सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– निजी रकवा 1.289 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	315	0.001	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला – सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
2	321	0.002		
3	319	0.072		
4	344	0.044		
5	318	0.052		

6	356	0.012		
7	353	0.060		
8	371	0.054		
9	398	0.061		
10	397	0.001		
11	406	0.010		
12	405	0.042		
13	408	0.040		
14	394	0.050		
15	422	0.008		
16	484/2	0.025		
17	511	0.033		
18	485	0.010		
19	486	0.065		
20	488	0.074		
21	495	0.013		
22	493	0.123		
23	492	0.046		
24	584	0.008		
25	583	0.086		
26	585	0.030		
27	580/1	0.053		
28	580/2	0.054		
29	410	0.020		
30	413	0.020		
31	414	0.030		
32	415	0.020		
33	417	0.020		
34	418	0.050		
Total	34 किता	1.289 Ha.		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
4. धारा–11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा–15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है।
5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 552-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहॉ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा – 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

" अनुसूची"

1– भूमि का विवरणः–

ग्राम का नाम :– कुचवाही
तहसील :– बहरी
जिला :– सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– निजी रकवा 1.376 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	1293/1	0.030	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला – सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 3 के निर्माण हेतु।
2	1294	0.006		
3	1284/1524	0.040		
4	1284/1	0.040		
5	1284/2	0.040		
6	1246	0.075		
7	1238	0.067		
8	1236	0.058		
9	1229	0.088		
10	1198	0.044		
11	1196/1	0.120		
12	1196/2			
13	1220/1	0.221		
14	1220/2			
15	1219	0.027		
16	1204/1	0.030		
17	1204/2			
18	1167/1	0.013		
19	1166	0.042		
20	745/1	0.015		
21	745/2			
22	746	0.024		
23	750	0.002		
24	747	0.020		
25	478	0.034		
26	749	0.020		
27	669	0.045		
28	741	0.045		
29	740	0.005		
30	724/1/1	0.150		
31	724/1/2			
32	725	0.030		
33	713/1	0.010		
34	713/2			
35	696	0.035		
Total	35 किता	1.376 Ha.		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
4. धारा–11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा–15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है।
5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 554–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा – 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

" अनुसूची"

1– भूमि का विवरणः–

ग्राम का नाम :– पटेहरा कोठार
तहसील :– बहरी
जिला :– सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– निजी रकवा 2.673 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	4/1	0.030	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला – सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की मानइर नम्बर 7 के निर्माण हेतु।
2	4/2	0.036		
3	3	0.034		
4	13	0.158		
5	12/1	0.010		
6	12/2	0.070		
7	17	0.050		
8	19/1	0.010		
9	19/2	0.050		
10	20/1	0.040		
11	20/2	0.020		
12	22/1	0.010		
13	22/2	0.025		
14	21/1	0.040		
15	21/2	0.025		
16	21/3	0.025		
17	95	0.002		
18	96	0.080		
19	97	0.070		
20	102	0.008		
21	110	0.170		
22	109	0.060		

23	113	0.020		
24	114	0.020		
25	121	0.090		
26	122	0.005		
27	123/1	0.020		
28	123/2	0.170		
29	141	0.130		
30	140	0.008		
31	137	0.080		
32	136	0.010		
33	135	0.036		
34	134	0.024		
35	191	0.096		
36	203	0.030		
37	445	0.095		
38	446/1	0.010		
39	462/1	0.045		
40	464/1	0.064		
41	472	0.020		
42	465/1	0.010		
43	471	0.018		
44	470/1	0.025		
45	469/1	0.065		
46	469/2	0.020		
47	469/3	0.002		
48	474/1	0.040		
49	494	0.002		
50	489/1	0.080		
51	491	0.040		
52	485	0.060		
53	512	0.105		
54	513	0.070		
55	529	0.010		
56	528	0.130		
Total	56 किता	2.673 Ha.		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है।
3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
4. धारा–11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा–15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है।
5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2019

क्र. 270–भू–अर्जन–2019.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू–अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	खरहरी–106	0.115	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा	रीवा–बकिया–सेमरिया मार्ग के कि.मी. 28/4 में टमस नदी पर पुल निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर 2019

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–5220–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0005–अ–82–2019–20.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013'' की धारा–11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	लाडनपुर	1.320	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–5219–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0005–अ–82–2019–20.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लाडनपुर पटवारी हल्का नं. 94 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.320 हैं0 भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	94	लाडनपुर	1.320	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0007–अ–82–2019–20–5239.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम हापला पटवारी हल्का नं. 104 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.690 हैं0 भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	104	हापला	0.690	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0007–अ–82–2019–20–5240.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	हापला	0.690	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0008–अ–82–2019–20–5232.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और अधिनियम 2013" की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	दीपला	3.257	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0008–अ–82–2019–20–5231.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम दीपला पटवारी हल्का नं. 104 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 3.257 हैं0 भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	104	दीपला	3.257	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0006–अ–82–2019–20–5237.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लोहारी पटवारी हल्का नं. 103 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 2.321 हैं0 भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	103	लोहारी	2.321	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0006–अ–82–2019–20–5238.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा–11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	लोहारी	2.321	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0003–अ–82–2019–20–5247.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम भीलखेड़ी मुरार पटवारी हल्का नं. 94 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.213 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	94	भीलखेड़ी मुरार	0.213	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0003–अ–82–2019–20–5248.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	भीलखेड़ी मुरार	0.213	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0004–अ–82–2019–20–5221.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बमनगांव आखई पटवारी हल्का नं. 94 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 4.034 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	94	बमनगांव आखई	4.034	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0004–अ–82–2019–20–5222.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा–11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	बमनगांव आखई	4.034	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0009–अ–82–2019–20–5223.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम मोरदड पटवारी हल्का नं. 105 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 4.011 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	105	मोरदड	4.011	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0009–अ–82–2019–20–5224.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	मोरदड	4.011	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0010–अ–82–2019–20–5241.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम पांचबैड़ी पटवारी हल्का नं. 114 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.354 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	114	पांचबैड़ी रैय्यत	0.354	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0010–अ–82–2019–20–5242.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013" की धारा–11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय, की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	पांचबैड़ी रैय्यत	0.354	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0011–अ–82–2019–20–5236.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम चिचखेड़ा पटवारी हल्का नं. 114 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.807 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	114	चिचखेड़ा	0.807	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0011–अ–82–2019–20–5235.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा–11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	चिचखेड़ा	0.807	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0012–अ–82–2019–20–5227.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम जीरवन पटवारी हल्का नं. 115 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 3.142 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	115	जीरवन	3.142	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0012–अ–82–2019–20–5228.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय, की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	जीरवन	3.142	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0013–अ–82–2019–20–5245.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम पिपलोद खास पटवारी हल्का नं. 126 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 7.252 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	126	पिपलोद खास	7.252	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0013–अ–82–2019–20–5246.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013" की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	पिपलोद खास	7.252	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारीब एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0014–अ–82–2019–20–5243.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम विश्रामपुर पटवारी हल्का नं. 135 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 6.823 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	135	विश्रामपुर	6.823	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0014–अ–82–2019–20–5244.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	विश्रामपुर	6.823	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0015–अ–82–2019–20–5229.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम गुडीखेड़ा पटवारी हल्का नं. 141 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 4.267 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	141	गुडीखेडा	4.267	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0015–अ–82–2019–20–5230.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	गुडीखेडा	4.267	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0016–अ–82–2019–20–5234.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013'' की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	भूतनी रैय्यत	1.658	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0016–अ–82–2019–20–5233.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम भूतनी रैय्यत पटवारी हल्का नं. 142 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.658 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	142	भूतनी रैय्यत	1.658	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0017–अ–82–2019–20–5226.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013'' की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	गुजरीखेड़ा	0.223	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.–24–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0017–अ–82–2019–20–15225.–उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE/C/AK/KNW-AMX/LA दिनांक 3–9–2019 प्रस्तुत कर अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम गुजरी खेडा पटवारी हल्का नं. 145 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.223 हे. भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं :–

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	145	गुजरीखेडा	0.223	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 25 सितम्बर 2019

नस्ती क्र.–एल. ए.–2019–भू–अर्जन प्रकरण क्र.–0017–अ–82–2019–20.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधि ानियम 2013" की धारा–11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पंधाना	खड़की	1.181	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला	अकोला–खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी पंधाना/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तन्वी सुंद्रियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2019

रा0प्र0 क्रमांक–13–अ–82–2018–2019–भू–अर्जन.– म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ–12–2–2014–सात–शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत बैतूल–सारनी–परासिया राजमार्ग क्र. 43 के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग (मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड) के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनूसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बैतुल–सारनी–परासिया राजमार्ग क्र.–43 के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :–

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नंबर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम– दातलावादी प.ह.न.–28/87 ब.नं.–265	1. सुमन मसीह पति ग्रेबियल लारेंस जाति लोधी, निवासी ग्राम भूमि	346/1	0.040	बैतूल–सारनी–परासिया राजमार्ग क्र.– 43 के निर्माण हेतु निजी भूमि

रा0नि0म0–जुन्नारदेव	स्वामी–दातलावादी		के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
	कुल योग . . 01	0.040	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व प्रस्तावित भूमि के भू–भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक को 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. 960–प्रशा.–भू–अर्जन–2019.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है और अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब–माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग	धारा–11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में.) (4)	प्राधिकृत अधिकारी (5)	वर्णन (6)
रीवा	मनगवां	गोंदरी नं. 2	0.270 हे.	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र.–2146–भू–अर्जन–19.– प्रबंधक (सिविल) एन.एच.डी.सी. लिमिटेड, आर.एण्ड.आर. खण्डवा द्वारा पत्र क्र.–एनएचडीसी–4–प्रबंधक(सि.)–16–1488 दिनांक 26–08–2016 एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा म.प्र. के पत्र क्रमांक 1620/कार्य/एलए/9(8/11)/2016 खण्डवा दिनांक 30–08–2016 प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भामर से मगरदी पहुंच मार्ग हेतु ग्राम भामर प.ह.न. 46 राजस्व निरीक्षक मंडल सतवास, तहसील सतवास, जिला देवास की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.63 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भामर में मगरदी पहुंच मार्ग की निर्माण कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय कलेक्टर, जिला देवास एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है.

अनुसूची

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	देवास	सतवास	46	भामर	0.63	इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम भामर से मगदही पहुंच मार्ग निर्माण कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू–अर्जन अधिकारी, एन.एच.डी.सी खण्डवा/उपमहाप्रबंधक (सिविल) एन.एच. डी.सी. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर 2019

नस्ती क्र. 116–2018–एलए–क्र.–49–भू–अर्जन–2019–5252.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पाददर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित पहुंच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				धारा–12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	टप्पा–मूंदी तहसील पुनासा	मूंदी	0.180 हे.	कार्यपालन यंत्री एन.व्ही.डी.ए. संभाग, 32 बडवाह जिला खरगौन	आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना प्रथम चरण के पंप हाउस निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची (2)

आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना प्रथम चरण के पंप हाउस निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन के अंतर्गत ग्राम मूंदी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
9/1	0.180
योग :– 1	0.180

नोट :– (1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री एन. व्ही.डी.ए. संभाग–32 नर्मदानगर के कार्यलय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तन्वी सुन्द्रियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 सितम्बर 2019

पत्र क्र. 275-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम पुर्वा-319 राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर, तहसील सेमरिया, रीवा-बीडा-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 28/10 में निर्माणाधीन टमस नदी पर पुल के सेमरिया तरफ के पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—पुर्वा-319
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.950 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
932	0.052
933	0.036
937/1/1/क	0.052
937/1/1/ख	0.052
937/1/1/2	0.008
946/2/1/क/1	0.004
946/2/1/क/2	0.004
946/2/1/क/3	0.004
946/2/1/क/4	0.004
946/2/1/क/5	0.004
1033/1/क/2	0.011
1033/1/क/1	0.016
1035	0.016
1036/3	0.016
1037/1/2	0.014
1039/1	0.073
1037/1/1	0.014
1041	0.049
1044/1	0.008
1044/2	0.032
1040/1	0.097
1034	0.004
1032/4	0.048
1076/1050	0.182
1051/2	0.134
1052	0.016
योग . .	0.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— रीवा-बीडा-सेमरिया मार्ग के. कि.मी. 28/10 में निर्माणाधीन टमस नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 सितम्बर 2019

पत्र क्र. 952-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—गुहिया
(घ) क्षेत्रफल—0.046 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
798	0.020	-
404	0.022	-
315	0.004	-
योग . .	0.046	
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.046	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की गुहिया माइनर एवं सब-माइनर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 954-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—गोंदरी नं. 7
(घ) क्षेत्रफल—0.150 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
1	0.080	-
2	0.040	-
3	0.030	-
योग . .	0.150	
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.150	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 956-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—करौंदा
(घ) क्षेत्रफल—0.110 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
145	0.100	-
87	0.010	-
योग . .	0.110	
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.110	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाली तिवनी माइनर नं. 1 की सब-माइनर करौंदा के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 958-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन

हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—गोंदरी नं. 1
(घ) क्षेत्रफल—0.252 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
107	0.124	-
106	0.048	-
38	0.080	-
योग . .	0.252	
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.252	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्र. 6525-भू.अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"** की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—घोटी ब.नं.-154, प.ह.नं. 33, रा.नि.मं.-बंड़ोल
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—5.35 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
500	0.08
498/1	0.03
498/2	0.09
493/1	0.04
493/5	0.02
492/1	0.08
492/2	0.13
511/4	0.07
511/3	0.08
508/2	0.02
268/6	0.03
508/1	0.01
504	0.08
496	0.01
494/2	0.01
485	0.14
486	0.10
489	0.06
487	0.04
376	0.09
375	0.29
369	0.62
367	0.04
363/2	0.14
364	0.10
362	0.07
360/1	0.07
158/1	0.05
361/3	0.06
158/6	0.01
344	0.01
154	0.01
156	0.02
158/2	0.01
158/3	0.02
158/4	0.01
158/5	0.02
161	0.01
163	0.13

(1)	(2)
138	0.05
164/1	0.03
131	0.13
119	0.09
130	0.02
133	0.06
134	0.01
118/1	0.02
118/2	0.04
117	0.03
113/5	0.01
273/1	0.12
273/2	0.01
273/3	0.01
274	0.01
282	0.04
275	0.01
432	0.01
281	0.03
181/1	0.01
283	0.07
288	0.02
220/1	0.23
220/3	0.02
218/7	0.04
188	0.02
187/1	0.01
299	0.09
304/1	0.08
304/2	0.08
305/1	0.09
305/2	0.03
306	0.05
307	0.10
181/2	0.09
180	0.08
65/1	0.01
65/2	0.07
65/3	0.06
66	0.03
63	0.11
37	0.01
214/5	0.02
213/1	0.02
199	0.01
198	0.01
196	0.04
55	0.04
57	0.09
44/2	0.01
45	0.08
योग . .	5.35

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल-06 एवं सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6526-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार के विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—सरगापुर ब.नं.-536, प.ह.नं.116, रा.नि.मं.-सिवनी-1.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.70 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32/3	0.09
25/3	0.08

(1)	(2)
25/4	0.05
24	0.06
23/1	0.10
21/1	0.07
21/2	0.07
20	0.06
15/1	0.02
80	0.01
19	0.02
18/2	0.05
17/2	0.10
17/1	0.11
16	0.02
15/3	0.02
15/2	0.09
79	0.01
44/5	0.02
44/4	0.02
44/3	0.02
44/2	0.05
44/1	0.06
47	0.02
42	0.12
48/2	0.02
44/6	0.02
43/1	0.01
43/2	0.01
49/2	0.12
49/1	0.10
50/3	0.02
50/4	0.02
50/5	0.02
50/6	0.02
50/7	0.10
49/3	0.04
49/4	0.01
51	0.06
143/1	0.16
143/3	0.17
143/2	0.03
140/4	0.03
140/2	0.03
140/3	0.04
138/1	0.02
138/2	0.02
131	0.03
246/1	0.05
246/2	0.05
246/3	0.04
245/2	0.06
245/1	0.05
275	0.01
योग . .	2.70

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल-01 एवं सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया जा सकता है.

क्र. 6527-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—खमरिया, ब.नं., प.ह.नं.-63, रा.नि.मं.-भोमा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.79 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/3	0.05
59/4	0.02
59/1	0.03
61	0.10
62	0.19
76/1	0.03
51/1	0.02
50/1	0.11
49/1	0.10
47/1	0.10
46	0.10
40/2	0.16
45	0.35
79/1	0.06
79/2	0.10
75	0.07
81/1	0.03
81/2	0.20
87	0.08
86	0.02
88	0.10
268/1	0.15
265/1	0.02
266/2	0.10
268/4	0.15
268/5	0.35
योग . .	2.79

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.—भीमगढ़ दायीं तट नहर प्रणाली की खैरा वितरक नहर की खैरा माईनर नं.-2, 3 एवं के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया जा सकता है.

क्र. 6530-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—निवारी, ब.नं.-309, प.ह.नं.-65, रा.नि.मं.-बरघाट.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.04 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/1	0.14
19/4	0.06
19/5	0.21
19/6	0.22
21/1	0.16
21/2	0.06
22	0.29
23	0.28
67/2	0.20
83/2	0.10
84/1	0.37
84/3	0.18
132	0.54
157/2	0.23
योग . .	3.04

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.—कांचना मंडी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6531-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—छुहाई, ब.नं.-188, प.ह.नं.-32, रा.नि.मं.-बड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.09 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
324	0.05
325	0.01
323	0.10
321/1	0.11
321/2	0.08
321/3	0.12
319/3	0.03
319/2	0.03
319/1	0.06
318/2	0.03
318/1	0.09
310	0.02
272/2	0.13
270	0.05
266	0.05
263	0.06
265	0.02
264	0.14
262	0.01
236/1	0.02
237	0.11
32	0.01
36	0.01
272/1	0.15
280/1	0.12
280/2	0.01
280/3	0.01
277	0.05
279	0.03
278	0.02
230	0.35
224	0.16
220	0.15
215	0.02
216	0.07
82/1	0.03
82/3	0.11
79	0.08
77/1	0.04
77/2	0.03
74	0.10
72	0.08
71	0.14
योग . .	3.09

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल-07 एवं सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6539-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है,

इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—धतुरिया, ब.नं.-287, प.ह.नं.-101, रा.नि.मं.-सिवनी-2.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.47 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/2	0.02
173/3	0.09
173/2	0.13
175	0.18
161	0.11
163	0.16
162/1	0.05
162/2	0.03
145/2	0.05
145/3	0.06
101/3	0.08
101/4	0.04
100/1	0.02
100/2	0.08
102/5	0.01
36/4	0.07
36/1	0.03
27	0.16
25	0.09
24	0.01
योग . .	1.47

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी 2 उपवितरक नहर की एल.-1 माईनर नहर के निर्माण हेतु. निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया जा सकता है.

क्र. 6540-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—नरेला, ब.नं.-303, प.ह.नं.-100, रा.नि.मं.-सिवनी-2.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—4.98 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
333	0.11
334	0.07
337/1	0.02
337/2	0.03
335	0.04
338	0.04
299/2	0.10
300/2	0.10
300/3	0.24
332/1	0.08
332/2	0.03
301/1	0.05
301/2	0.01
302/1	0.05
303	0.11
305/3	0.11
306/1	0.01

(1)	(2)
305/1	0.16
305/2	0.10
307/1	0.25
313	0.10
310	0.06
312/2	0.18
312/3	0.30
314	0.01
37	0.10
128/2	0.02
126	0.07
38	0.20
39	0.21
29	0.10
42	0.20
43	0.15
44	0.16
241/1	0.01
119/1	0.02
119/5	0.20
123	0.15
124/1	0.09
124/3	0.09
124/2	0.02
127/2	0.02
127/1	0.01
125	0.08
105/1	0.02
105/2	0.07
526	0.01
184/1	0.03
184/2	0.07
222	0.04
183	0.18
221	0.04
182	0.04
179	0.10
178	0.01
174/1	0.01
339/2	0.10
योग . .	4.98

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल-06 एवं 07 एवं सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6541-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—पुसेरा, ब.नं.-346, प.ह.नं.-33, रा.नि.मं.-बंडोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—6.94 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304/1	0.01
304/2	0.12
304/3	0.12
304/4	0.01
306/2	0.38
299	0.02
300	0.25
298/1	0.20
319	0.20
318	0.07
320/3	0.27

(1)	(2)
322	0.01
316	0.01
464	0.12
465	0.03
466/1	0.03
466/2	0.02
467	0.01
468	0.03
324	0.01
320/1	0.07
187/3	0.34
330	0.02
331	0.08
332	0.05
449	0.03
352	0.07
350	0.08
351	0.03
349	0.06
359/1	0.07
156	0.18
146/1	0.05
360/4	0.04
362/2	0.03
363	0.01
221	0.01
222	0.14
223/2	0.12
224/2	0.03
224/1	0.04
225/2	0.06
228	0.36
242	0.47
243/3	0.06
244	0.63
239/1	0.02
153	0.06
147	0.13
152/4	0.16
145	0.09
144	0.10
23/1	0.14
22	0.01
21	0.06
20/1	0.10
20/2	0.20
2	0.01
235	0.17
234	0.04
157	0.06
155	0.03
137	0.25
136/2	0.11
115	0.01
29	0.12
32	0.01
109/1	0.01
योग . .	6.94

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल-06 एवं सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6542-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—तिघरा, ब.नं.-258, प.ह.नं.-101, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.99 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100	0.11
96	0.03
99	0.04
57/1	0.24
54	0.02
49/1	0.06
49/2	0.05
46	0.01
40/2	0.07
42/1	0.01
41	0.01
252/1	0.02
252/2	0.09
250	0.08
110	0.06
111	0.07
112	0.06
131	0.12
166	0.15
132	0.04
165	0.08
163	0.02
161	0.01
160/1-2	0.10
274/1	0.03
274/2	0.08
274/3	0.09
290	0.05
291	0.08
288	0.03
295/2	0.02
294/2	0.03
294/3	0.01
295/1	0.05
294/1	0.10
293	0.05
146	0.05
259/2	0.09
261	0.11
262/1	0.10
263/3	0.01
264	0.05
241/1, 241/3	0.02
356/3	0.06
355	0.08
346	0.03
347	0.05
343	0.05
342/2	0.02
342/4	0.02
342/3	0.01
326/2	0.05
326/1	0.05
325	0.06
324/1	0.02
324/2	0.17
315/1	0.08
309/2	0.05
308	0.07
284/1	0.02
284/3	0.01
284/4	0.04
307/2	0.01
300/3	0.02
297/2	0.05
300/2	0.05
298/1	0.05
300/1	0.06
299/1	0.03
302	0.18
योग . .	3.99

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी 2 उपवितरक नहर की एल.--3, 4 एवं एल-5 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6543-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—बम्होड़ी, ब.नं.-397, प.ह.नं.-115, रा.नि.मं.-सिवनी-1.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.07 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
436/1/3	0.05
459	0.09
458/1	0.07
448/1	0.15
447	0.02
378	0.12
381	0.11
384	0.05
383/1	0.01
389	0.14
391	0.05
392/2	0.05
393/2	0.01
394	0.05
297	0.05
298	0.04
299	0.01
योग . .	1.07

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नं. एल-25 के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6544-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—खापा, ब.नं.-111, प.ह.नं.-101, रा.नि.मं.-सिवनी-2.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.49 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/1	0.06
31/2	0.06
32	0.02
33	0.02
30	0.03
34	0.07
35	0.17
40	0.05
65	0.01
योग . .	0.49

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल.-4 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6545-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—जमुनिया, ब.नं.-196, प.ह.नं.-118, रा.नि.मं.-सिवनी-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
241	0.11
240/2	0.05
238	0.14
327/1	0.03
237/4	0.04
237/2	0.04
113/3	0.22
97	0.11
96	0.12
94	0.15
93	0.01
18/2	0.10
20	0.07
57	0.15
56/2	0.14
56/1	0.01
56/5	0.04
56/6	0.06
56/7	0.02
55/3	0.08
52/1	0.01
योग . .	1.70

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की एल-15 माईनर नहर की सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6546-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—गंगई, ब.नं.-148, प.ह.नं.-32, रा.नि.मं.-बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.32 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159	0.10
160	0.06
161/1	0.06
127	0.08
126	0.01
125/4	0.01
योग . .	0.32

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल.-7 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6547-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ढ़ेकी, ब.नं.-254, प.ह.नं.-102, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.25 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252/2	0.02
254	0.10
253	0.09
256	0.07
264/2	0.10
265	0.03
266/2	0.07
263	0.01
261/1	0.04
261/2	0.04
259/1	0.03
259/2	0.03
260	0.03
220	0.02
221	0.02
222	0.10
226/1	0.09
226/2	0.08
227	0.14
228	0.10
229/1	0.02
12	0.02
योग . .	1.25

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल.-1 एवं एल-2 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6548-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—टिकारी, ब.नं.-224, प.ह.नं.-35, रा.नि.मं.-बंड़ोल.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.70 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205	0.32
204/14	0.06
204/4	0.01
198/1	0.01
197/1	0.04
197/3	0.13
197/2	0.18
172	0.06
173	0.28
163	0.07
181	0.12
114	0.19
183	0.41
179	0.03
165	0.21
164	0.08
217	0.05
218	0.10
221	0.01
268	0.02
266	0.31
83/2	0.01
योग . .	2.70

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल.-7 एवं सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6549-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—हिवरा, ब.नं.-602 प.ह.नं.-102, रा.नि.मं.-सिवनी-2.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.57 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22/1	0.05
23/2	0.06
21	0.10
24/2	0.04
50	0.06
52	0.07
51	0.01
48/1	0.15
47/1	0.09
54/1	0.13
56/1	0.09
56/2	0.11
55	0.10
63	0.01

(1)	(2)
7/1	0.06
7/4	0.11
17	0.09
18	0.07
14	0.11
15/2	0.02
16	0.01
15/1	0.03
योग . .	1.57

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल.-1 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6550-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—कुदवारी, ब.नं.-67, प.ह.नं.-35, रा.नि.मं.-बंड़ोल.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—4.64 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
175	0.04
167/1	0.33
167/2	0.38
164/2	0.05
164/1	0.21
163/1	0.23
162/2	0.09
160/1	0.48
132/1	0.10
12	0.05
133/2	0.04
134	0.22
135	0.17
51	0.03
27	0.01
28	0.01
29	0.01
25	0.05
30/2	0.15
30/1	0.16
33	0.25
32	0.11
34	0.09
15	0.12
40	0.01
23	0.02
35	0.30
36	0.10
16	0.15
11	0.01
172/1	0.03
172/2	0.08
169	0.38
104/1	0.17
85/2	0.01
योग . .	4.64

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल 06 एवं सब माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6528-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय, की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा. नि. मं. भोमा	ग्राम कामता ब. नं.-60 प.ह.नं.-73.	0.26	कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	कान्हीवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बायी तट नहर संभाग, केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

सिवनी, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 6932-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—लोंनिया, ब.नं.-535, प.ह.नं.-102, रा.नि.मं.-सिवनी-2.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.71 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
341/1/1	0.03
341/4	0.04
297	0.04
296/1	0.03
296/2	0.03
296/3	0.04
296/4	0.05
296/5	0.05
289/1	0.03

(1)	(2)
295/1	0.14
292/2	0.09
294	0.02
293	0.03
275/1	0.12
273/3	0.20
273/1	0.02
273/4	0.02
272/2	0.06
272/1	0.06
267	0.16
169	0.05
204	0.09
203	0.08
202/3	0.03
202/4	0.05
202/5	0.04
200/2	0.07
208	0.01
210	0.01
170	0.09
168	0.10
26/1	0.06
26/2	0.04
167	0.03
27	0.01
30	0.05
11/2	0.07
10	0.06
9/3	0.07
9/2	0.01
9/8	0.01
7	0.02
6	0.02
5	0.01
38	0.02
36	0.03
45/4	0.11
33	0.02
37	0.08
3/2	0.02
46	0.05
45/1	0.03
45/2	0.01
योग . .	2.71

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं.-एल 28 के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6933-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—परतापुर, ब.नं.-320, प.ह.नं.-115, रा.नि.मं.-सिवनी-1.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.57 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204/1/1	0.10
204/5	0.19
204/2/1	0.08
204/3/1	0.20
योग . .	0.57

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) में किया सकता है.

क्र. 6943-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—उमरिया, ब.नं.-27, प.ह.नं.-26, रा.नि.मं.-बंड़ोल.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—4.10 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
174	0.06
177	0.19
179	0.13
184	0.04
180	0.29
181/2	0.01
181/1	0.01
183	0.16
167	0.12
182	0.03
5	0.27
43	0.21
44	0.38
38/7	0.25
38/8	0.04
38/6	0.10
38/4	0.06
38/3	0.01
39	0.18
23	0.09
38/1	0.27
21/4	0.05
21/3	0.17
21/2	0.25
7	0.70
4	0.03
योग . .	4.10

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6945-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—सोनाड़ोगरी, ब.नं.-590, प.ह.नं.-37 रा.नि.मं.-बंड़ोल.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—18.03 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
31	0.28
32	0.05
35	0.30

(1)	(2)	(1)	(2)
23/1	0.33	310/3	0.14
23/2	0.33	319	0.23
22	0.11	320/2	0.21
21	0.11	321	0.10
20/1	0.32	322	0.11
20/2	0.04	427	0.03
19/2/1	0.46	423	0.14
18/1	0.33	428/1	0.01
17/2	0.29	425	0.11
16/1	0.16	421/2	0.24
12/6/1	0.15	421/1	0.21
12/1/1	0.28	432/10	0.20
10/3	0.18	432/11	0.07
227	0.14	433/3, 434	0.09
228	0.21	435	0.51
12/2/1	0.11	437	0.13
232	0.30	439/1	0.30
278	0.30	452/2	0.16
234/4	0.05	452/7	0.17
234/5	0.03	456	0.32
234/6	0.03	457	0.12
234/8	0.04	404	0.01
234/10	0.02	458	0.06
234/9	0.03	459/1	0.19
277	0.09	403/1	0.03
271	0.05	402	0.02
276	0.15	459/3	0.02
274/3	0.17	401/6	0.56
273	0.07	401/5	0.28
270/2	0.10	401/1	0.01
287/2	0.01	397/2	0.10
270/1	0.12	397/1	0.10
287/1	0.01	389/2, 390/1	0.01
288	0.24	389/7, 390/3	0.10
289	0.28	389/6, 390/2	0.42
311/1/1	0.30	389/8	0.06
301/1	0.97	389/3	0.08
302/3	0.31	388/4, 389/1	0.07

(1)	(2)
149/1	0.13
145/1	0.54
145/2	0.54
145/3	0.54
388/3	0.12
149/2	0.04
115	0.05
116	0.30
117	0.52
118	0.25
100	0.27
60	0.29
62/1, 63/1	0.19
53/1, 62/2/1	0.68
योग . .	18.03

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 एवं ड़ी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6946-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—झिलमिली, ब.नं.-223, प.ह.नं.-27 रा.नि.मं.-बंड़ोल.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—3.44 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
200	0.29
203	0.31
225/5	0.28
225/1	0.28
233/2	0.25
233/3	0.16
233/4	0.13
234	0.34
243	0.03
244	0.24
245	0.36
120/4	0.20
120/11	0.19
120/6	0.05
119	0.33
योग . .	3.44

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6947-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार के विस्थापित नहीं किया जाना है,

इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—बंड़ोल, ब.नं.-400, प.ह.नं.-31 रा.नि.मं.-बंड़ोल.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—6.19 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
137	0.220
140/2	0.150
141/2	0.030
140/1	0.560
146/1	0.020
146/2	0.010
146/3	0.040
146/4	0.010
146/5	0.010
146/6	0.010
175/4/1	0.350
175/9	0.040
175/4/2	0.090
175/2/1	0.030
175/11	0.090
175/7/1	0.120
175/8	0.070
120/1	0.080
120/2	0.080
120/4	0.120
120/5	0.140
119	0.130
118/2	0.050
117	0.400
105/2	0.150
104	0.060
205	0.190
206/1	0.160
103	0.150
206/2	0.020
102	0.220
207	0.030
49	0.120
50	0.130
51	0.050
59/2	0.300
59/1	0.050
6/3	0.160
61/2	0.090
60	0.230
61/1	0.010
9	0.720
62	0.230
6/2	0.270
योग . .	6.19

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6948-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है,

इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—अलोनिया, ब.नं.-01, प.ह.नं.-27 रा.नि.मं.-बंड़ोल.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—7.54 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
359/2	0.010
361	0.020
362	0.090
340	0.270
338	0.060
331	0.030
333	0.040
328	0.140
327/1	0.240
336	0.150
335	0.020
326	0.170
323	0.050
291/2	0.170
324	0.060
291/3	0.070
322	0.010
320/1, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 320/7	0.150
320/2	0.080
292/1	0.480
292/2	0.100
292/3	0.160
292/5	0.010
307/1	0.030
306	0.130
303	0.120
302/1	0.100
238	0.110
241/2	0.120
239	0.150
241/1	1.010
203	0.110
204	0.200
200/1	0.070
199	0.190
207	0.040
208/1	0.410
208/3	0.080
208/4	0.050
208/6	0.180
21	0.200
19/2	0.110
19/1	0.100
15/2	0.050
283	0.090
279	0.080
282	0.080
281	0.060
280	0.090
277/1	0.050
276	0.160
275/3	0.090
275/2	0.090
274	0.180
138/1	0.050
137/1	0.020
128/1	0.110
128/3	0.070
116	0.150
115/2	0.030
योग . .	7.54

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु. निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6949-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—गोरखपुरकला, ब.नं.-143, प.ह.नं.-26, रा.नि.मं.-बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—3.16 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
285	0.31
286	0.53
292	0.01
290	0.01
295	0.27
308	0.03
305	0.01
302	0.01
301	0.09
298	0.14
397	0.27
357	0.13
361	0.18
360	0.01
369	0.05
369/776	0.01
268	0.11
253	0.14
254	0.03
252	0.04
228	0.42
229	0.01
206	0.27
188	0.07
201	0.01
योग . .	3.16

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6950-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—नारायणगंज, ब.नं.-360, प.ह.नं.-30, रा.नि.मं.-बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—5.34 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
117/1	0.090
130/4	0.010
130/2/1	0.040
122/1	0.060
93/1	0.030
120/7	0.150
120/6	0.400
120/10	0.260
121	0.230
54/2	0.010
92	0.270
35	0.020
88	0.190
65/2	0.040
65/6	0.020
65/1	0.020
20/2	0.010
19	0.020
18	0.060
(1)	(2)
17	0.070
16	0.090
15/3	0.230
15/6	0.130
14	0.130
10	0.140
29	0.540
30/1	0.480
30/2	0.200
36/2	0.140
36/1	0.100
157/1	0.040
158/1	0.160
168/4	0.110
168/2	0.070
168/3	0.070
159/1	0.010
168/1	0.140
169	0.330
172/2	0.230
योग . .	5.34

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीणसिंह अढ़ायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. A-3066-दो-2-6-2017.—श्री विधान माहेश्वरी, असिस्टेंट डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 19 मार्च 2017 से 18 मार्च 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-3068-दो-2-20-2016.—श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3070-दो-2-46-2017.—श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 26 से 27 सितम्बर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5086-दो-2-57-2009.—श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 से 22 अक्टूबर 2019 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश, पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु इराक (अरेबियन) विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 26 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए.(एस.ए.) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6372-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2019 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6374-दो-2-28-2016.—श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 09 से 20 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6376-दो-2-4-2019.—श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनाकं 16 से 18 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार त्रिपाठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.